## अध्याय- III : वाहनों पर कर

### 3.1 कर प्रशासन

परिवहन विभाग (विभाग) की प्राप्तियां, केंद्रीय एवं राज्य मोटरयान अधिनियमों के प्रावधानों व इनके अंतर्गत बनाये नियमों से विनियमित होती हैं एवं विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। पथकर और विशेष पथकर से प्राप्तियां, राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम,1951 के प्रावधानों, उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों एवं समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं से विनियमित होती हैं।

### 3.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों/जिला परिवहन अधिकारियों के अधीन 54 परिवहन जिले हैं एवं इनमें 1,62,80,006 वाहन पंजीकृत हैं। परिवहन विभाग में 26 कार्यान्वयन इकाइयों सहित कुल 122 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां थीं। इनमें से 31 इकाइयां, 9 कार्यान्वयन इकाइयों सहित, नमूना जांच हेतु चुनी गईं, जिनमे 76,87,802 वाहन पंजीकृत थे। इनमें से 97,109 वाहन नमूना जांच हेतु चुने गए। लेखापरीक्षा में जांच के दौरान 11,390 प्रकरणों में कर, अधिभार एवं शास्ति आदि से संबंधित राशि ₹ 87.17 करोड़ की कम/अवसूली देखी गयी। ये प्रकरण उदाहरण मात्र हैं तथा नमूना जांच पर आधारित हैं। समान प्रकृति की कुछ त्रुटियां पूर्व के वर्षों में भी ध्यान में लायी गयी थीं लेकिन लेखापरीक्षा करने तक ये अनियमितताएं न केवल विद्यमान थीं, अपितु पहचानी भी नहीं गयी थीं। इस प्रकार, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के साथ ही आतंरिक लेखापरीक्षा को सशक्त करने की एवं कर, शुल्क, इत्यादि का संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए आवधिक विवरणियों के माध्यम से एक निगरानी तंत्र की स्थापना किये जाने की आवश्यकता थी। ये अनियमिततायें मुख्यतः निम्न श्रेणियों में आती है:

**(₹ करोड़ में)**

| क्रम संख्या | श्रेणी | प्रकरणों की संख्या | राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | **'परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली'** विषय पर निष्पादन लेखापरीक्षा | 1 | 56.53 |
| 2 | कर, अधिभार,शास्ति आदि का भुगतान नहीं करना/कम भुगतान करना | 11,252 | 31.38 |
| 3 | कर, आदि के अनिर्धारण/कम निर्धारण की संगणना से सम्बंधित अनियमिततायें | 11 | 0.03 |
| 4 | अन्य अनियमिततायें | | |
| | (i) राजस्व से संबंधित | 116 | 0.04 |
| | (ii) व्यय से संबंधित | 10 | 0.26 |
| **योग** | | **11,390** | **88.24** |

वर्ष के दौरान, विभाग ने 8,849 प्रकरणों में ₹ 33.21 करोड़ के कम निर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं को स्वीकार किया, जिसमें से ₹ 7.19 करोड़ के 2,601 प्रकरण वर्ष 2018-19 के लेखापरीक्षा के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गए थे। वर्ष 2018-19 के दौरान, 2,568 प्रकरणों में ₹ 3.00 करोड़ की राशि वसूल की गयी, जिसमें से ₹ 0.90 करोड़ के 178 प्रकरण वर्ष 2018-19 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गए थे।

'परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली' विषय पर निष्पादन लेखापरीक्षा जिसमें प्रणालीगत मुद्दे और राशि ₹ 56.53 करोड़ अन्तर्निहित है, पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गयी है।

## 3.3 परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा

### 3.3.1 परिचय

परिवहन विभाग के कार्यों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213 में निर्धारित किया गया है। विभाग के प्राथमिक कर्तव्य, राज्य में मोटर वाहन कानूनों के प्रावधानों को लागू करना है। यह वाहनों के पंजीयन, चालकों, परिचालकों और व्यापारियों को लाइसेंस जारी करने, वाहनों की फिटनेस, परमिट जारी करने, नियमों के प्रवर्तन, कराधान और वसूली, मार्गों के संचालन, सड़क सुरक्षा नीति के क्रियान्वयन और वाहन जनित प्रदूषण पर नियंत्रण आदि गतिविधियों से संबंधित है। यह परिवहन सुविधाओं के विकास के लिए अन्य संगठनों की सहायता करता है और सड़क मार्ग से यात्रियों और माल के आवागमन के लिए एक दक्ष, समुचित और मितव्ययी परिवहन सेवा प्रदान करने का प्रयास करता है।

भारत सरकार ने त्वरित, उन्नत और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए दो मानकीकृत सॉफ्टवेयर *''सारथी''* और *''वाहन''* विकसित किए हैं। इन्हें राज्य में चरणबद्ध रूप से क्रमशः सितंबर 2009 और अक्टूबर 2009 से प्रारंभ किया गया। *''वाहन''* का उपयोग वाहनों से संबंधित संव्यवहारों जैसे पंजीयन, परमिट, कर, फिटनेस के लिए और *''सारथी''* का उपयोग ड्राइविंग लाइसेंस और उससे संबंधित गतिविधियों को चालू करने के लिए किया जाता है।

### 3.3.2 संगठनात्मक संरचना

विभाग के प्रमुख, परिवहन आयुक्त सह सचिव, राजस्थान सरकार हैं। वह प्रशासकीय प्रमुख होने के साथ-साथ विभागीय प्रमुख भी हैं। परिवहन सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए राज्य को 12 परिवहन क्षेत्रों[1] और 54 परिवहन जिलों[2] में विभाजित किया गया है, जिनके प्रमुख क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी होते हैं।

क्षेत्र की परिवहन गतिविधियों का सम्पूर्ण प्रशासन क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी में निहित होता है। वह राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी भी है। परिवहन जिले के लिए लाइसेंसिंग और पंजीयन प्राधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी है। वह राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम/नियम, 1951 के उद्देश्यों के लिए कराधान अधिकारी भी है।

महत्वपूर्ण गतिविधियों पर विभाग का प्रदर्शन निम्नानुसार थाः

| गतिविधि | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|---|---|---|---|---|---|
| वाहनों का पंजीयन | 11,94,589 | 12,53,157 | 12,68,386 | 13,79,444 | 14,29,943 |
| लाइसेंस जारी करना | 7,52,861 | 9,06,791 | 8,78,792 | 6,25,893 | 6,04,922 |
| वाहन का मेकेनिकल फिटनेस | 3,20,065 | 3,76,971 | 4,10,232 | 4,37,813 | 4,28,004 |
| ओवरलोड वाहनों का चालान | 2,21,538 | 1,11,440 | 1,11,441 | 1,01,141 | 1,03,635 |

स्रोतः परिवहन विभाग का सांख्यिकी सार 2018-19

[1] क्षेत्रः अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली, सीकर और उदयपुर।

[2] जिलेंः आबू रोड़, बालोतरा, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, भीनमाल, भिवानी, बूंदी, चौमूं, चूरू, डीडवाना, धौलपुर, दूदू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, केकड़ी, खेतड़ी, किशनगढ़, कोटपूतली, नागौर, नोहर, नोखा, फलौदी, प्रतापगढ़, राजसमंद, रामगंजमंडी, रतनपुरा (टीसीसी), सवाईमाधोपुर, शाहजहाँपुर (टीसीसी), शाहपुरा (भीलवाड़ा), शाहपुरा (जयपुर), सिरोही, श्रीगंगानगर, सुजानगढ़, टोंक तथा क्षेत्रीय स्तर अन्य 12 जिलें।

उपरोक्त से यह सुस्पष्ट होता है कि 2018-19 के दौरान विभाग के कार्य में 2017-18 की तुलना में काफी वृद्धि हुई ।

### 3.3.3 राजस्व की प्रवृति

परिवहन विभाग,राज्य सरकार का तीसरा सबसे बड़ा कर संग्रह करने वाला विभाग है । राज्य और परिवहन विभाग की पिछले पाँच वर्षों की कर प्राप्तियां निम्नानुसार हैः-

| वर्ष | राज्य का कर राजस्व | मोटर वाहन पर कर | पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि | कर राजस्व का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| **2014–15** | 38,672.87 | 2,829.86 | 13.23 | 7.32 |
| **2015–16** | 42,712.92 | 3,199.44 | 13.06 | 7.49 |
| **2016–17** | 44,371.66 | 3,622.83 | 13.23 | 8.16 |
| **2017–18** | 50,605.41 | 4,362.97 | 20.43 | 8.62 |
| **2018–19** | 57,380.34 | 4,576.45 | 4.89 | 7.98 |

स्रोतः परिवहन विभाग का सांख्यिकी सार 2018-19

वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य के कुल कर राजस्व में विभाग का योगदान 7.98 प्रतिशत था । यद्यपि मौद्रिक रूप में विभाग का कुल राजस्व बढ़ रहा है परंतु वर्ष 2018-19 में 2017-18 की अपेक्षा प्रदेश के कुल राजस्व में विभाग का प्रतिशत कम हुआ है ।

### 3.3.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) यह पता लगाने की दृष्टि से की गई थी किः

- अधिनियम और नियमों के अन्तर्गत विद्यमान प्रावधान राजस्व की सुरक्षा के लिए पर्याप्त थे;
- अधिनियम और नियमों को लागू करने तथा शासकीय राजस्व के आरोपण, निर्धारण, संग्रहण और प्रेषण के लिए उचित प्रक्रिया निर्धारित है;
- राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति (मार्च 2010) को प्रभावी ढंग से लागू किया गया;
- राज्य के अंदर चलने वाले वाहनों के संचालन की निगरानी, फिटनेस, परिवहन क्षमता और प्रदूषण निर्गम, आदि प्रावधानों के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए विभाग की प्रवर्तन शाखा प्रभावी थी; और
- विभाग की कुशल और प्रभावी कार्य प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त एवं प्रभावी निगरानी तथा सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों सहित आंतरिक नियंत्रण तंत्र विद्यमान है ।

### 3.3.5 लेखापरीक्षा के मानदंड

निष्पादन लेखापरीक्षा निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित थीः

- मोटर वाहन अधिनियम, 1988;
- केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989;
- राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951;
- राजस्थान मोटर वाहन कराधान नियम, 1951;
- राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990;
- राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा योजना, 2010;
- राजस्थान राज्य सड़क सुरक्षा नीति, 2017;

- राजस्थान प्रदूषण जांच केंद्र योजना (ऑनलाइन), 2017;
- वायु (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981;
- राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति, 2010;
- भारत सरकार और परिवहन विभाग, राजस्थान द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचनाएं, परिपत्र, आदेश, दिशानिर्देश और
- अन्य राज्यों (हरियाणा और कर्नाटक) के मोटर वाहन अधिनियमों/नियमो मे उल्लिखित श्रेष्ठ प्रथायें ।

### 3.3.6 कार्यक्षेत्र एवं कार्यपद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा में 2014-15 से 2018-19 की अवधि आवृत्त है । अभिलेखों की संवीक्षा हेतु 10 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों[3] और छः जिला परिवहन कार्यालयों[4] के एक नमूने का चयन प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनेट टू साइज (सिस्टमैटिक) विधि से किया गया । इसके अतिरिक्त परिवहन आयुक्त कार्यालय को भी सम्मिलित किया गया । फील्ड स्टडी नवंबर 2018 से जुलाई 2019 के मध्य में की गई ।

निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु अपनाई गई कार्यपद्धति में पत्रावलियों की संवीक्षा, चयनित इकाइयों में संधारित अभिलेख, विभाग द्वारा प्रदत्त सूचनाएं, पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और जनलेखा समिति की सिफारिशें, आदि सम्मिलित थी । इसके अतिरिक्त अवधि 2015-16 से 2018-19 के लिये *वाहन* के इलेक्ट्रॉनिक डेटा का भी विश्लेषण किया गया ।

परिवहन आयुक्त और विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ एक परिचयात्मक परिचर्चा 12 मार्च 2019 को आयोजित की गई जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र और कार्यपद्धति के बारे में विस्तार से बताया गया । 28 नवंबर 2019 को "समापन परिचर्चा" आयोजित की गई जिसमें विभाग के साथ लेखापरीक्षा परिणामों पर विस्तार से चर्चा की गई । समापन परिचर्चा और अन्य अवसरों पर विभाग से प्राप्त प्रत्युत्तरों को संबंधित अनुच्छेदों में समुचित रूप से सम्मिलित किया गया है ।

### 3.3.7 आभार

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग, लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक सूचनाऐं तथा अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए परिवहन विभाग के सहयोग के लिए आभार प्रकट करता है ।

### लेखापरीक्षा के परिणाम

परिवहन आयुक्त कार्यालय और चयनित 16 परिवहन कार्यालयों की सूचनाओं और अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाई गई कमियों/अनियमितताओं पर आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गई है । यह लेखापरीक्षा परिणाम केवल हमारे नमूना प्रकरणों के विश्लेषण पर आधारित है तथा समान प्रकार के कई प्रकरणों के विभाग में होने की संभावना है । इसलिए सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे सभी अन्य प्रकरणों जिनमें समान कमियों/अनियमितता के होने की

[3] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारीः अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली, सीकर और उदयपुर ।

[4] जिला परिवहन अधिकारीः भीलवाड़ा, चौमूं, डीडवाना, धौलपुर, नोहर और श्रीगंगानगर ।

संभावना है की संवीक्षा करें और जिन मामलों में समान कमियां/अनियमितताएं पाई जाती है उनमें आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करें ।

### 3.3.8 पंजीयन

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 39 के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना पंजीयन के मोटर वाहन नहीं चलाएगा । वाहनों के पंजीयन के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर नीचे चर्चा की गई है ।

#### 3.3.8.1 "ओमनी बसों" का पंजीयन

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 2(29) "ओमनी बस" को परिभाषित करती है जिसके अनुसार ऐसा मोटर वाहन जो ड्राइवर के अलावा छः से अधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिए निर्मित या अनुरूपित किया गया हैं ।

भारत सरकार की अधिसूचना सं एस.ओ. 1248 (ई) दिनांक 05 नवम्बर 2004 में ओमनी बस को परिवहन वाहन की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है ।

केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 62 में प्रावधान है कि नवीन पंजीकृत परिवहन वाहन के संबंध में जारी फिटनेस प्रमाण पत्र दो वर्ष के लिए वैध है और उसके बाद प्रत्येक वर्ष इसका नवीनीकरण किया जाना आवश्यक है ।

चयनित 16 क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारियों के पंजीयन अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान देखा गया कि 20,330 ओमनी बसों का पंजीयन गैर परिवहन वाहनों की श्रेणी में किया गया । 'ओमनी बसों' का पंजीयन परिवहन वाहनों की श्रेणी में नहीं करना केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रावधानों के उल्लंघन में था ।

यह भी देखा गया कि ओमनी बसों का पंजीयन गैर परिवहन वाहनों की श्रेणी में करने के कारण इन वाहनों की फिटनेस इनके पंजीयन की समाप्ति की तिथि तक वैध बनी रहती है । इस प्रकार अनियमित पंजीयन अंततः नियमों में प्रावधानित फिटनेस मानकों की पालना नहीं होने में परिणित होता है । यद्यपि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में ऐसे वाहनों के आगमन पर फिटनेस जांच की जा रही थी । यदि ओमनी बसों का पंजीयन परिवहन वाहनों के रूप में किया जाता तो विभाग को फिटनेस जांच और फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ₹ 1.53 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति होती । इसके अतिरिक्त बिना फिटनेस ओमनी बसों के परिचालन से सड़क उपयोगकर्ताओं के जीवन को खतरा होने के साथ ही पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019)। समापन परिचर्चा (नवंबर 2019) के दौरान विभाग द्वारा कहा गया कि 'ओमनी बसों' के मोटर कार के रूप में पंजीयन के लिए एक विस्तृत स्पष्ट आदेश जारी किया जाएगा । तत्पश्चात सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि अनुच्छेद में सम्मिलित वाहन 'ओमनी बसें' ना होकर केवल मोटर कार थे । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अनुच्छेद में सम्मिलित वाहन 'ओमनी बसें' है, जो कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 2(29) में परिभाषित ड्राइवर को छोड़कर छः से अधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिए निर्मित या अनुरूपित हैं । सरकार को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी करने चाहिए ।

*यह सिफारिश की जाती है कि सरकार ओमनी बस वाहनों के वर्गीकरण और पंजीकरण के लिए, एक समान तंत्र विकसित करने पर विचार कर सकती है।*

### 3.3.8.2 नियमों में कमी

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 41 (7) निर्धारित करती है कि पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से केवल 15 वर्ष तक की अवधि के लिए वैध होगा और नवीनीकरण योग्य होगा। केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 47(1) में प्रावधान है कि वाहन की सुपुर्दगी लेने की दिनांक से सात दिनों के अंदर पंजीयन के लिए आवेदन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त नियम 48 प्रावधान करता है कि आवेदन प्राप्त होने पर और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद पंजीयन प्राधिकारी, पंजीयन का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

अवधि 2014-15 से 2018-19 के दौरान राज्य में ई-सीरीज[5] में कुल 22,769 वाहनों को पंजीकृत किया गया था, इनमें से 12,357 वाहन चयनित क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों में पंजीकृत थे। इनमें से 4,943 परिवहन वाहनों का संवीक्षा हेतु चयन किया गया।

चयनित कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान देखा गया कि पांच कार्यालयों[6] में 11 निर्माण उपकरण वाहनों (ई-सीरीज) के पंजीयन हेतु आवेदन इन वाहनों के क्रय किये जाने के एक से सात वर्ष के विलंब से प्रस्तुत किए गए थे लेकिन पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने की दिनांक से 15 वर्षों की वैधता के साथ जारी किए गए। वह अवधि जिसके दौरान वाहन बिना पंजीयन प्रमाण पत्र चला उसे वैधता अवधि में नहीं जोड़ा गया। नियमों में इस विषय पर स्पष्टता के साथ उल्लेख नहीं है। इस प्रकार नियमों में कमी के कारण ये वाहन सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा से समझौता करते हुए बिना फिटनेस जांच और प्रदूषण मानकों के 15 वर्ष से अधिक चलते रहेंगे।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019)। सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में कमी का संशोधन केवल केंद्र सरकार द्वारा किया जा सकता है इसलिए इस कमी को इंगित करते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को इसके सुधार के लिए पत्र प्रेषित किया जा रहा है।

### 3.3.9 कर और शुल्क

राज्य में दिसंबर 2018 तक कुल 9,29,573 परिवहन वाहन पंजीकृत थे, इनमें से चयनित क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों में 6,00,617 वाहन पंजीकृत थे। इनमें से 67,615 परिवहन वाहनों को संवीक्षा के लिए चुना गया था। लेखापरीक्षा में कर और शुल्क की अवसूली/ कम वसूली पाई गई जैसा कि आगामी अनुच्छेदों में बताया गया है।

[5] ई-सीरीजः रिंग, जनरेटर, क्रेन, फोर्क लिफ्ट, आदि उपकरणों से सुसज्जित वाहन या कोई अन्य गैर परिवहन वाहन जो किसी अन्य श्रेणी में ना हो।

[6] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारीः भरतपुर, चित्तौड़गढ़ और सीकर; जिला परिवहन अधिकारीः डीडवाना और शाहपुरा।

### 3.3.9.1 परिवहन वाहनों से मोटर वाहन कर और विशेष पथकर की अवसूली/कम वसूली

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 और 4-बी तथा इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार सभी परिवहन वाहनों जिनका राज्य में उपयोग किया गया है अथवा उपयोग हेतु रखे गए हों पर मोटर वाहन कर (एमवीटी) और विशेष पथकर (एसआरटी) का आरोपण एवं संग्रहण राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से किया जाता है केवल उन वाहनों को छोड़कर जिन्होंने धारा 4-सी के अंतर्गत एक मुश्त कर का भुगतान किया हो । इसके अतिरिक्त, देयकर पर अधिभार भी आरोपणीय है । अनुमत्य अवधि के पश्चात् कर का भुगतान नहीं करने पर देयकर की राशि के दुगने के अध्यधीन रहते हुए प्रतिमाह या उसके भाग के लिए 1.5 प्रतिशत की दर से शास्ति भी आरोपणीय है । इसके आगे राजस्थान मोटरयान कराधान नियम, 1951 के नियम 8 एवं 33 के अन्तर्गत कराधान अधिकारी कर की वसूली हेतु नोटिस देने और राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 13 ए के अंतर्गत भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की चल संपत्ति की कुर्की और उसके विक्रय द्वारा बकाया कर और शास्ति की वसूली हेतु सक्षम है ।

16 चयनित कार्यालयों में अवधि अप्रैल 2014 से मार्च 2019 के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि 2,232 वाहन स्वामियों द्वारा कर का भुगतान या तो नहीं किया गया या कम किया गया । अभिलेखों में यह प्रदर्शित करने के साक्ष्य नहीं थे कि वाहन संचालित नहीं थे या अन्य जिलों या राज्यों में स्थानांतरित हो गए या उनके पंजीयन प्रमाण पत्र समर्पित कर दिए गए थे । यद्यपि कर जमा कराने में चूक करने वालों की सूचना *वाहन* सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध थी तथापि अभिलेखों में कराधान अधिकारियों द्वारा बकाया कर की वसूली हेतु कार्यवाही प्रारंभ किया जाना नहीं देखी गई । इसके परिणामस्वरूप कर (अधिभार सहित) तथा शास्ति ₹ 17.78 करोड की वसूली नहीं हुई ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019) । सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि आठ क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों[7] के अन्तर्गत 252 प्रकरणों में ₹ 1.68 करोड़ की वसूली की जा चुकी थी और शेष राशि की वसूली हेतु संबंधित कार्यालयों को निर्देशित किया जा चुका था ।

### 3.3.9.2 स्कीम मार्गो (लोक परिवहन सेवा) पर चलने वाले वाहनों से मोटर वाहन कर और विशेष पथकर की अवसूली/कम वसूली

राज्य में आमजन को सुगम, सस्ती और सुरक्षित परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए 13 दिसंबर 2015 से राजस्थान लोक परिवहन सेवा की शुरूआत की गयी । निजी बस संचालकों को वाहन चलाने की अनुमति प्रदान करने हेतु 476 राष्ट्रीयकृत मार्गों का विराष्ट्रीयकरण[8] किया गया । मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 102 के अंतर्गत निजी स्टेज कैरिज बसों को, राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्र और राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा आरोपित शर्तों के अनुसार, परमिट जारी करने हेतु योजना को संशोधित किया गया ।

---

[7] क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयः भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, सीकर और उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालयः डीडवाना, धौलपुर और नोहर ।

[8] प्रशासनिक प्रतिवेदन 2018-19 ।

राजस्थान लोक परिवहन सेवा के एकल और संयुक्त मार्गों के लिए कुल 1,563 परमिट जारी किए गए, दिसंबर 2018 तक वाहन स्वामियों को 1,435 परमिट दिए जा चुके थे।

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 तथा 4-बी के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर, अधिभार के अतिरिक्त, आरोपणीय है। अनुमत्य अवधि की समाप्ति पर शास्ति भी आरोपणीय है। इसके अतिरिक्त, कराधान अधिकारी कर की वसूली हेतु नोटिस देने और बकाया कर और शास्ति के भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की चल संपत्ति की कुर्की और उसके विक्रय द्वारा वसूली हेतु सक्षम है।

राजस्थान लोक परिवहन सेवा के पंजीयन अभिलेखों, परमिट तथा सामान्य सूची पंजिकाओं की नमूना जांच में पाया गया कि 11 क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों[9] के 81 वाहनों के संबंध में या तो कर का भुगतान ही नहीं किया गया या कम भुगतान किया गया। देखे गये अभिलेखों में यह साक्ष्य नहीं थे कि वाहन संचालित नहीं थे या अन्य जिलों में स्थानांतरित हो गए थे या उनके पंजीयन प्रमाण पत्र समर्पित कर दिए गए थे। फिर भी कराधान अधिकारियों द्वारा बकाया कर की वसूली हेतु कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.85 करोड़ की अवसूली/कम वसूली रही।

ये प्रकरण विभाग के ध्यान में लाए गए तथा सरकार को प्रतिवेदित (दिसंबर 2019) किए गए। सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि दो क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालयों[10] के छः प्रकरणों में ₹ 5.56 लाख की वसूली की जा चुकी थी और शेष राशि की वसूली के लिए संबंधित कार्यालयों को निर्देश दिए जा चुके हैं।

### 3.3.9.3 एक मुश्त कर की बकाया किश्तों की अवसूली

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 सी तथा इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार परिवहन वाहनों पर एक मुश्त कर, राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं[11] द्वारा निर्धारित दरों पर वसूलनीय है। 14 जुलाई 2014 से एक मुश्त कर का भुगतान वाहन स्वामी के विकल्प पर संपूर्ण अथवा छः समान किश्तों में एक वर्ष में किया जा सकता है। कर पर अधिभार भी देय है। अनुमत्य अवधि की समाप्ति पर शास्ति भी आरोपणीय है। इसके अतिरिक्त, कराधान अधिकारी बकाया कर की वसूली हेतु नोटिस जारी करने और बकाया कर और शास्ति के भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की चल संपत्ति की कुर्की और उसके विक्रय द्वारा वसूली हेतु सक्षम है।

टैक्सी/मैक्सी कैब वाहनों, 12,000 किलोग्राम सकल भार वाहन और 16,500 किलोग्राम सकल वाहन भार वाले माल वाहनों पर क्रमशः 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2016 और 1 अप्रैल 2017 से एक मुश्त कर अनिवार्य कर दिया गया।

चयनित कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 83,282 वाहनों में से 761 परिवहन वाहनों (267 भार वाहन और 494 टैक्सी/मैक्सी) के स्वामियों द्वारा सभी

---

[9] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारीः अलवर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली, सीकर और उदयपुर; जिला परिवहन अधिकारीः नोहर और श्रीगंगानगर।

[10] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारीः बीकानेर और उदयपुर।

[11] अधिसूचना संख्याः 22, दिनांक 16 फरवरी 2006, 22-ए, दिनांक 09 मार्च 2007, 22-सी, दिनांक 14 जुलाई 2014 और 22-डी, दिनांक 8 मार्च 2016।

किश्तों का भुगतान नहीं किया गया । कर खातों में या पंजीयन अभिलेखों में या वाहन में यह अभिलेखित नहीं था कि वाहन अन्य जिलों या राज्यों में स्थानांतरित हो गए या उनके पंजीयन प्रमाण पत्र समर्पित कर दिए गए थे । तथापि बकाया कर की वसूली हेतु कार्यवाही नहीं की गई । इसके परिणामस्वरूप एक मुश्त कर (अधिभार सहित) तथा शास्ति राशि ₹ 6.95 करोड़ की अवसूली/कम वसूली हुई । इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि ऐसे प्रकरणों में जहां किश्तों का कम भुगतान किया गया, ऐसे वाहनों को *''वाहन''* सॉफ्टवेयर में चूककर्ताओं की सूची में प्रदर्शित नहीं किया गया था ।

ये प्रकरण विभाग के ध्यान में लाए गए और सरकार को प्रतिवेदित किए गए (दिसंबर 2019) । सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि सात क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों[12] के 85 प्रकरणों में ₹ 58.09 लाख की वसूली की जा चुकी थी और शेष राशि की वसूली के लिए संबंधित कार्यालयों को निर्देशित किया जा चुका था ।

### 3.3.9.4 पंजीयन, हाइपोथिकेशन और फिटनेस हेतु शुल्क की कम वसूली

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 51 में यह प्रावधान है कि पंजीयन अधिकारी हाइपोथिकेशन अनुबंध के होने के संबंध में पंजीयन प्रमाण पत्र में प्रविष्टि करेगा । केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 का नियम 81, पंजीयन प्रमाण पत्र जारी या नवीनीकरण करने, हाइपोथिकेशन अनुबंध के पृष्ठांकन और फिटनेस प्रमाण पत्र जारी या नवीनीकरण करने पर प्रभारित किये जाने वाले शुल्क को निर्धारित करता है । भारत सरकार की अधिसूचना[13] द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र जारी या नवीनीकरण करने, हाइपोथिकेशन अनुबंध के पृष्ठांकन और फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने या नवीनीकरण करने के संबंध में शुल्क को संशोधित किया गया ।

चयनित कार्यालयों के पंजीयन और फिटनेस अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान देखा गया कि विभाग द्वारा संशोधित दरों पर शुल्क की वसूली हेतु सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन करने की कार्यवाही विभाग द्वारा समय पर प्रारंभ नहीं की गई ।

इस कारण से निम्न विवरणानुसार, संशोधित दरों के अनुसार शुल्क की वसूली नहीं की गईः

| क्रम संख्या | उद्देश्य | प्रकरणों की संख्या (30 दिसंबर 2016 से 13 जनवरी 2017) | कम भुगतान किया शुल्क (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|
| 1 | पंजीयन प्रमाण पत्र स्वीकृत करना या नवीनीकरण करना | 2,811 | 9.56 |
| 2 | हाइपोथिकेशन अनुबंध का पृष्ठांकन | 2,019 | 25.37 |
| 3 | फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करना और नवीनीकरण करना | 934 | 1.87 |
| **योग** | | **5,764** | **36.80** |

[12] क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयः भरतपुर, बीकानेर, सीकर और उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालयः डीडवाना, धौलपुर और नोहर ।

[13] सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना संख्याः आर.टी. 11017/12/2013/एम.वी.एल. दिनांक 29.12.2016

इसके परिणामस्वरूप 13 क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों[14] में राशि ₹ 36.80 लाख के शुल्क की कम वसूली हुई ।

ये प्रकरण विभाग के ध्यान में लाए गए और सरकार को प्रतिवेदित (दिसंबर 2019) किए गए । सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि दो क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों[15] के चार प्रकरणों में ₹ 0.25 लाख की वसूली की जा चुकी थी और संबंधित कार्यालयों को शेष राशि की वसूली हेतु निर्देश दिए जा चुके थे ।

### 3.3.9.5 एमनेस्टी योजनाओं के अन्तर्गत छूट की अनियमित स्वीकृति

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राजस्थान सरकार द्वारा नष्ट हो चुके और इनके अलावा अन्य वाहनों के लिए अधिसूचनाओं दिनांक 9 मार्च 2013, 6 दिसंबर 2016 और 12 फरवरी 2018 द्वारा तीन एमनेस्टी योजनाएं लाई गई । विभाग ने कार्यालय आदेश संख्या 4/2015, 43/2016 और 6/2018 द्वारा एवं ब्याज में छूट के लिए नियम, शर्त और पात्रता के मानदंड निर्धारित किए गए जैसा कि नीचे सारणी में बताया गया है:

| योजना | दिनांक जिस पर कर एवं अधिभार भुगतान हेतु देय और बकाया थे | अद्यतन बकाया कर जमा कराने की अंतिम तिथि | छूट की अनुमत्य अवधि यदि कॉलम 3 में उल्लिखित दिनांक तक का कर जमा करा दिया जाता |
|---|---|---|---|
| **एमनेस्टी योजना 9 मार्च 2013** | 31 मार्च 2012 | 30 जून 2015 | 31 मार्च 2012 |
| **एमनेस्टी योजना 6 दिसंबर 2016** | 31 मार्च 2015 | 31 दिसंबर 2016 | 31 मार्च 2015 |
| **एमनेस्टी योजना 12 फरवरी 2018** | 31 मार्च 2016 | 30 सितंबर 2018 | 31 मार्च 2016 |

(i) अवधि 2014-15 से 2018-19 के दौरान कुल 1,773 वाहन स्वामियों को इन योजनाओं के अंतर्गत छूट प्रदान की गई, इनमें से 422 वाहनों को नमूना जांच हेतु चयन किया गया । नौ क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों[16] में योजनाओं से संबंधित पत्रावलियों, आदेशों और अन्य अभिलेखों की जांच में पाया गया कि सारणी के कॉलम 4 में छूट हेतु निर्धारित अवधि से अधिक की छूट दी गई । इसके परिणामस्वरूप 49 प्रकरणों में राशि ₹ 12.86 लाख की अनियमित छूट प्रदान की गई ।

(ii) एमनेस्टी योजना 2018 में निर्धारित किया गया कि:

(अ) छूट का लाभ देने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वाहन के विरुद्ध कोई भी चालान या लेखापरीक्षा अनुच्छेद बकाया ना हो ।

[14] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी: अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, पाली, सीकर और उदयपुर; जिला परिवहन अधिकारी: चौमूं, डीडवाना, धौलपुर, नोहर और श्रीगंगानगर ।

[15] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी: सीकर एवं जिला परिवहन अधिकारी: धौलपुर ।

[16] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी: अलवर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, सीकर और उदयपुर; जिला परिवहन अधिकारी: डीडवाना, धौलपुर और श्रीगंगानगर ।

(ब) ब्याज और शास्ति की छूट तभी दी जानी चाहिए यदि 31 मार्च 2016 तक का कर और अधिभार देय और बकाया हो।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, उदयपुर के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि दो गैर परिवहन वाहनों का पंजीयन नहीं कराने के कारण मैसर्स राजस्थान स्टेट माइन्स एंड मिनरल्स लिमिटेड (आरएसएमएमएल) के विरुद्ध एक बारीय कर ₹ 13.87 लाख एवं शास्ति ₹ 23.15 लाख की मांग (फरवरी 2017) कायम की गई। कर की राशि मार्च 2017 में जमा करा दी गई। मैसर्स आरएसएमएमएल ने एमनेस्टी योजना के अंतर्गत शास्ति की छूट के लिए आवेदन किया (मई 2018)। उस दिन तक देय शास्ति ₹ 27.75 लाख के विरुद्ध ₹ 25.46 लाख की छूट (सितंबर 2018) प्रदान की गई। संवीक्षा में ज्ञात हुआ कि मार्च 2016 तक की अवधि के लिए मैसर्स आरएसएमएमएल के विरुद्ध कोई कर बकाया नहीं था, इसलिए वह छूट के लिए पात्र नहीं था तथापि योजना के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ₹ 25.46 लाख की छूट प्रदान कर दी गई।

ये प्रकरण विभाग के ध्यान में लाए गए और सरकार को प्रतिवेदित किए गए (दिसंबर 2019)। सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि दो क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों[17] के चार प्रकरणों मे ₹ 38.32 लाख में से ₹ 0.70 लाख की वसूली की जा चुकी थी और शेष राशि की वसूली के लिए संबंधित कार्यालयों को निर्देशित किया जा चुका था।

### 3.3.10 लाइसेंस

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 3 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध चालन अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) न हो, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन नहीं चलाएगा। केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 11 में शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति के लिए प्रारंभिक जांच का प्रावधान है। नियम 15(2) वाहन चालन क्षमता की जांच को निर्धारित करता है। इसके अतिरिक्त नियम 32 लाइसेंस जारी करने के शुल्क को निर्धारित करता है। राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 का नियम 2.10 प्रावधान करता है कि जिला परिवहन अधिकारी लाइसेंसिंग प्राधिकारी होगा। इसके अतिरिक्त राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 का नियम 2.2 प्रावधान करता है कि परिवहन वाहन चलाने के लिए प्राधिकार प्राप्त करने हेतु लाइसेंस धारक अनुमोदित मोटर ड्राइविंग स्कूल द्वारा जारी वाहन चालन प्रमाण पत्र के साथ आवेदन कर सकते हैं।

#### 3.3.10.1 स्वचालित ड्राइविंग ट्रैकों का संचालन न होना

विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से पूर्व, चालन प्रशिक्षण क्षमता की जांच को अधिक प्रभावशाली और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्वचालित ड्राइविंग ट्रैक विकसित करने का निर्णय लिया।

समर्पित सड़क सुरक्षा निधि की संचालन समिति ने 37 क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों में स्वचालित ड्राइविंग ट्रैक बनाने के लिए ₹ 39.00 करोड़ की राशि अनुमोदित की

[17] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारीः सीकर और जिला परिवहन अधिकारीः धौलपुर।

(15 सितंबर 2017)। 13 क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों[18] में स्वचालित ट्रैक के निर्माण के लिए ₹ 23.66 करोड़ स्वीकृत किए गए (9 नवंबर 2017)। विभाग ने ड्राइविंग ट्रैक सेंटर के निर्माण और स्वचालन के विकास, परिचालन और संधारण के लिए दो ठेके दिए।

विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं तथा अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 12 कार्यालयों में स्वचालित ट्रैक दो से 13 माह के विलंब से पूरे किए गए। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ में ट्रैक पूरा नहीं हुआ। मार्च 2019 तक इन ट्रैकों के निर्माण पर ₹ 13.23 करोड़ खर्च हुए थे। तथापि, सभी 13 स्थानों पर ट्रैक चालू नहीं किए गए थे। इस प्रकार दो वर्ष से अधिक समय और ₹ 13.23 करोड़ खर्च करने के बाद भी स्वचालित ट्रैक के निर्माण के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019)। सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि ड्राइविंग टेस्ट के लिए मानक निर्धारण की प्रक्रिया प्रगति पर थी और प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि स्वचालित ट्रैक के निर्माण के लिए ठेका देने से पूर्व ही ड्राइविंग जांच मानक निर्धारित किए गए होंगे।

### 3.3.10.2 लाइसेंस जारी करने में विसंगतियां

विभाग ने कार्यालय आदेश 36/2015 दिनांक 20 नवंबर 2015 द्वारा परिकल्पित किया कि सामान्यतः एक दुपहिया वाहन के प्रशिक्षण में पाँच मिनट लगते हैं जबकि चौपहिया के प्रशिक्षण को पूरा होने में 8 से 10 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार आदेश द्वारा एक एमवीआई/एमवीएसआई द्वारा प्रतिदिन लिए जाने वाले ड्राइविंग टेस्ट की सीमा निर्धारित की गई जो कि दुपहिया और चौपहिया वाहनों के लिए क्रमशः 100 और 50 ड्राइविंग टेस्ट थी।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जयपुर को छोड़कर 15 परिवहन कार्यालयों[19] द्वारा प्रस्तुत माह दिसंबर 2018 की सूचनाओं और अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ किः

- जिला परिवहन अधिकारी, धौलपुर ने आवंटित 30 स्लॉट प्रतिदिन के विरुद्ध 31 से 52 लाइसेंस जारी किए। 19 कार्य दिवसों में से 12 दिवसों में अधिक लाइसेंस जारी करना पाया गया। स्लॉट बुकिंग के बिना आवेदन पत्रों को स्वीकार करने के कारण अभिलेखों में नहीं पाये गये। आवंटित स्लॉट से अधिक टेस्ट करने और लाइसेंस जारी करने से ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग प्रणाली का उद्देश्य विफल कर दिया।

  यदि जिला परिवहन अधिकारी अधिक आवेदकों को सेवा प्रदान करने की सुविधा रखते है जैसा कि साक्ष्य उपलब्ध हैं, तो प्रतिदिन स्लॉटों की संख्या को बढाया जाना चाहिए। इससे आवेदकों को भी सुविधा होगी कि उन्हें स्लॉट बुक करने के लिये कम प्रतीक्षा करनी होगी।

[18] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारीः अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली, सीकर और उदयपुर; जिला परिवहन अधिकारीः डीडवाना और झालावाड़।

[19] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारीः अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, कोटा, पाली, सीकर और उदयपुर; जिला परिवहन अधिकारीः भीलवाड़ा, चोमू, डीडवाना, धौलपुर, नोहर और श्रीगंगानगर।

- आठ क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों[20] ने प्रति एमवीआई/एमवीएसआई प्रतिदिन की निर्धारित सीमा 100 से अधिक ड्राइविंग परीक्षण किये । अधिक परीक्षणों की संख्या की सीमा से 102 से 524 तक भिन्न थी । 20 कार्य दिवसों में से पांच से 14 दिनों में अधिक परीक्षण किए गए । छः क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों[21] में निर्धारित सीमा में परीक्षण किए गए । निर्धारित मानदंडों से अधिक परीक्षण करने से ड्राइविंग कौशल के उचित मूल्यांकन के प्रभावित होने की संभावना थी, जिसके परिणामस्वरूप अपूर्ण ड्राइविंग कौशल वाले व्यक्तियों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी हो सकता था ।

  इस मुद्दे को इस दृष्टिकोण से भी विश्लेषित किये जाने की आवश्यकता है कि जनसंख्या और लाइसेंस की मांग में वृद्धि के बाद भी विभाग 100 जांच प्रतिदिन की सीमा को ही बनाये हुये है । इसके बावजूद भी तथ्य यह है कि विभाग में एमवीआई/एमवीएसआई के महत्वपूर्ण कैडर में 38 प्रतिशत रिक्तियां हैं । यह भी देखा गया कि एमवीआई/एमवीएसआई के पदों की संख्या 2012-13 के बाद संशोधित नहीं की गई । समय और तकनीक के आगमन से लाइसेंस की मांग में वृद्धि निश्चित ही होगी । विभाग द्वारा एमवीआई/एमवीएसआई, जो कि आम जनता को संतोषप्रद सेवायें प्रदान करने के लिए फील्ड में महत्वपूर्ण कार्यकारी पद है, के पदों की संख्या को युक्तिसंगत करने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

अधिक संख्या में लाइसेंस जारी किया जाना, बिना वाहन चालन जांच के लाईसेंस देने में कदाचार और कार्यालयों में भ्रष्टाचार की संभावनाओं की ओर इंगित करता है ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाए गए और सरकार को प्रतिवेदित किए गए (दिसंबर 2019) । सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि 20 नवंबर 2015 को जारी किए गए निर्देशों को उनकी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए दोहराया जाएगा । तथ्य यह है कि अभी तक निर्देश जारी नहीं किये गये है (मई 2020) ।

### 3.3.10.3 लाइसेंस शुल्क की कम वसूली

भारत सरकार की अधिसूचना[22] द्वारा लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण आदि के संबंध में शुल्क को 29 दिसंबर 2016 से संशोधित किया गया ।

नौ कार्यालयों[23] के लाइसेंस अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि विभाग ने सॉफ्टवेयर में शुल्क को समय पर संशोधित नहीं किया, इसके फलस्वरूप 30 दिसंबर 2016 से 13 जनवरी 2017 की अवधि के दौरान पुरानी दरों से शुल्क प्रभारित किया गया । इसके परिणाम स्वरूप 8,596 प्रकरणों में लाइसेंस शुल्क की राशि ₹ 34.07 लाख की कम वसूली हुई ।

---

[20] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारीः भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, सीकर और उदयपुर; जिला परिवहन अधिकारीः भीलवाड़ा, धौलपुर और श्रीगंगानगर ।

[21] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारीः अलवर, कोटा और पाली; जिला परिवहन अधिकारीः चौमूं, डीडवाना और नोहर

[22] सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना संख्याः आर.टी. 11017/12/2013/एम.वी.एल. दिनांक 29.12.2016

[23] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारीः भरतपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, सीकर और उदयपुर; जिला परिवहन अधिकारीः डीडवाना, धौलपुर, नोहर और श्रीगंगानगर ।

ये प्रकरण विभाग के ध्यान में लाए गए और सरकार को प्रतिवेदित किए गए (दिसंबर 2019)। सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि अंतर राशि की वसूली के लिए एनआईसी के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों को मोबाइल मैसेज भेजने की प्रक्रिया को प्रारंभ करना प्रगति पर है।

### 3.3.11 वाहन फिटनेस

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 56 सपठित केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 62 के अनुसार कोई परिवहन वाहन विधिक रुप से पंजीकृत नहीं माना जाएगा जब तक कि वह निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं लेता। केंद्रीय मोटर वाहन नियमों का नियम 62 प्रावधान करता है कि नए पंजीकृत परिवहन वाहन के संबंध में दिए गए फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता दो वर्ष है और उसके बाद प्रत्येक वर्ष उनके नवीनीकरण की आवश्यकता होगी। केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के नियम 81 में फिटनेस परीक्षण करने और फिटनेस प्रमाण पत्र देने/नवीनीकरण के लिए शुल्क निर्धारित है। भारत सरकार ने अधिसूचना दिनांक 29 दिसंबर 2016 द्वारा इन शुल्कों को संशोधित किया।

**फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण की निगरानी का अभाव**

विभाग द्वारा परिवहन वाहनों की फिटनेस से संबंधित अप्रैल 2012 से दिसंबर 2018 की अवधि के वाहन सॉफ्टवेयर के डंप डाटा के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि 31 दिसंबर 2018 तक 1.85 लाख परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्रों की वैधता समाप्त हो गई थी। अभिलेखों में यह प्रदर्शित नहीं था कि यह वाहन राज्य में नहीं चल रहे थे या अन्य राज्यों में स्थानांतरित हो गए थे। अवधि पार हो चुके फिटनेस प्रमाण पत्रों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार थाः

| वर्ष | परिवहन वाहनों की संख्या जिनकी फिटनेस वर्ष के दौरान समाप्त हो गई | परिवहन वाहनों की संख्या जिनकी फिटनेस के नवीनीकरण की वर्ष के दौरान आवश्यकता थी |
|---|---|---|
| 2014-15 | 11,530 | 11,530 |
| 2015-16 | 30,153 | 41,683 |
| 2016-17 | 40,163 | 81,846 |
| 2017-18 | 71,092 | 1,52,938 |
| 2018-19 | 32,051 | 1,84,989 |

*2012-13 से पूर्व पंजीकृत परिवहन वाहन शामिल नहीं हैं।

यद्यपि विभाग के पास फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो चुके वाहनों से संबंधित आँकड़े उपलब्ध थे, फिर भी वह दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करने में असफल रहा। इन वाहनों के अभी भी चलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फिटनेस प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण नहीं करने के परिणामस्वरूप फिटनेस प्रमाण पत्र शुल्क के ₹ 9.46 करोड़ की भी अवसूली रही। इसके अतिरिक्त, फिटनेस परीक्षण कराने के शुल्क राशि ₹ 16.22 करोड़[24] भी वसूल नहीं किए जा सके। इस प्रकार, परिवहन वाहनों की फिटनेस के नवीनीकरण की

[24] 29 दिसंबर 2016 ₹ 200 और उसके बाद ₹ 400 नियमों में लागू न्यूनतम शुल्क के आधार पर गणना की गई।

निगरानी करने में विभाग असफल रहा । अनफिट वाहनों के चलने से सड़क सुरक्षा और पर्यावरण को भी गंभीर खतरा हो सकता है ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019) । सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि वाहनों की फिटनेस की निगरानी प्रवर्तन स्टाफ द्वारा की जा रही थी । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रवर्तन स्टाफ 1.85 लाख दोषी वाहन स्वामियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में असफल रहा । इसके अतिरिक्त, विभाग ने दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करने या नोटिस जारी करने में डाटा का उपयोग नहीं किया ।

### 3.3.12 अनुज्ञा पत्र (परमिट)

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 66 किसी भी सार्वजनिक स्थान पर परिवहन वाहन के उपयोग के लिए परमिट की आवश्यकता बताती है । इसके अतिरिक्त धारा 81 में प्रावधान है कि परमिट जारी होने या नवीनीकरण की दिनांक से पाँच वर्ष तक प्रभावी होगा और समाप्ति की दिनांक से कम से कम 15 दिन पूर्व आवेदन करने पर इसका नवीनीकरण किया जा सकेगा । केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 का नियम 87(1) राष्ट्रीय अनुज्ञा पत्र (परमिट) के अधिकार पत्र के लिए शुल्क का निर्धारण करता है । नियम 87(3) प्रावधान करता है कि प्राधिकार पत्र की वैधता अवधि एक समय में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

#### 3.3.12.1 ऑटो रिक्शा के अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण का अभाव

राज्य में 31 मार्च 2019 तक 1,67,779 ऑटो रिक्शा पंजीकृत थे, इनमें से 1,09,274 चयनित 16 परिवहन जिलों में पंजीकृत थे ।

नौ क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों[25] में प्रत्येक के 100 ऑटो रिक्शाओं (कुल 900) के परमिट अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि 240 ऑटो रिक्शा (26.66 प्रतिशत) के परमिटों का नवीनीकरण नहीं हुआ । अभिलेखों में यह प्रदर्शित नहीं था कि ये वाहन नहीं चल रहे थे । नोटिस जारी करने की कार्यवाही अभिलेखों में नहीं पाई गई । प्राधिकारी ऑटो रिक्शा के परमिटों के नवीनीकरण की स्थिति की निगरानी में असफल थे । इसके अतिरिक्त, इन वाहनों के परमिट संबंधी जानकारी *वाहन* सॉफ्टवेयर में दर्ज नहीं की गई थी ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019) । सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि ऑटो रिक्शा के संचालन की निगरानी प्रवर्तन स्टाफ द्वारा नियमित रूप से की जा रही थी । विभाग ने यह भी बताया कि परमिट जारी करने और नवीनीकरण प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा चुका है । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आपत्ति किए गए परमिट पुराने थे और विभाग द्वारा नियमित प्रवर्तन कार्यों के साथ जांच के अतिरिक्त दोषियों को नोटिस जारी किये जाने चाहिये थे ।

[25] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारीः अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर और उदयपुर; जिला परिवहन अधिकारीः डीडवाना और श्रीगंगानगर ।

### 3.3.12.2 राष्ट्रीय अनुज्ञा पत्रों (नेशनल परमिट) के नवीनीकरण के संबंध में जनलेखा समिति की सिफारिशों की अनुपालना का अभाव

जनलेखा समिति ने अपने 303वें प्रतिवेदन में सिफारिश की (16 अगस्त 2018), कि विभाग नवीन राष्ट्रीय अनुज्ञा पत्र प्रणाली के अंतर्गत प्राधिकार पत्र के नवीनीकरण की प्रक्रिया को शीघ्र नए सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रारंभ करें और सॉफ्टवेयर के माध्यम से नोटिस जारी करें। सिफारिश की अनुपालना में विभाग ने सूचित किया (28 फरवरी 2019) कि दो अलग वेब आधारित सॉफ्टवेयर जो कि एक दूसरे से तारतम्य में थे, राष्ट्रीय अनुज्ञा पत्र और प्राधिकार पत्र को जारी करने के लिए उपयोग किए जा रहे थे। क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी उन वाहनों की सूची जिनके अनुज्ञा पत्र और प्राधिकार पत्र की वैधता समाप्त हो गई थी, इनसे प्राप्त कर सकते थे। सूची के अनुसार नोटिस जारी किया जाना, उनके स्तर पर अपेक्षित था।

चयनित 16 क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों से सॉफ्टवेयर के माध्यम से जारी किए गए नोटिसों की सूचना चाही गई लेकिन 12 कार्यालयों[26] ने सूचना प्रस्तुत नहीं की। चार क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों[27] द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं (मई से सितंबर 2019) की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि इन कार्यालयों द्वारा सॉफ्टवेयर के माध्यम से नोटिस नहीं जारी किए जा रहे थे। इस प्रकार, विभाग द्वारा जनलेखा समिति की सिफारिशों का अक्षरशः पालन नहीं किया गया।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया (दिसंबर 2019)। सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि संबंधित शाखा के प्रभारी को अनुपालना हेतु निर्देशित किया गया।

### 3.3.13 व्यापारिक प्रमाण पत्र का नवीनीकरण

केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 35 के अनुसार व्यापारिक प्रमाण पत्र प्रदान करने या नवीनीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, पंजीयन अधिकारी, यदि संतुष्ट हो, प्रमाण पत्र जारी करेगा। राजस्थान मोटरयान कराधान नियम, 1951 का नियम 6(1) प्रावधान करता है कि प्रत्येक डीलर कर भुगतान के लिए अनुमत्य समय की समाप्ति के बाद सातवें दिन से पूर्व फॉर्म एमटीएच में घोषणा प्रस्तुत करेगा। इसके आगे नियम 8 प्रावधान करता है कि कराधान अधिकारी स्वयं को संतुष्ट करेगा कि प्रस्तुत की गई घोषणा पूर्ण है और कर की सही राशि का भुगतान किया गया है।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जयपुर में अवधि 2017-18 के व्यापारिक प्रमाण पत्र नवीनीकरण की संवीक्षा के दौरान पाया गया कि व्यापारिक प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण डीलर द्वारा प्रस्तुत घोषणाओं के आधार पर किया गया था। लेखापरीक्षा में 25 डीलरों की घोषणाओं का वाहन में उपलब्ध डाटा के साथ मिलान (क्रॉसलिंक) किया गया। सात डीलरों के प्रकरणों में यह पाया गया कि गत वर्ष में उनके द्वारा वास्तव में विक्रीत वाहनों की संख्या घोषित संख्या की तुलना में दो से 271 की सीमा में अधिक थी। कराधान अधिकारी ने डीलरों द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्रों की जांच किये बिना ही व्यापारिक प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण कर दिया। इसके परिणामस्वरूप,

[26] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारीः बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, कोटा, पाली और उदयपुर; जिला परिवहन अधिकारीः भीलवाड़ा, चोमू, डीडवाना, धौलपुर, नोहर और श्रीगंगानगर।

[27] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारीः अलवर, भरतपुर, जोधपुर और सीकर।

व्यापारिक प्रमाण पत्रों का गलत नवीनीकरण और व्यापारिक प्रमाण पत्र शुल्क का कम संग्रहण हुआ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019)। सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि सभी क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारियों को व्यापारिक प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण से पूर्व डीलरों की घोषणा को अनिवार्य रूप से वाहन डेटाबेस से सत्यापित करने हेतु परिपत्र जारी किया जा रहा है।

### 3.3.14 मोटरयानों के अनुपयोग होने पर करों के भुगतान से छूट

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 (2) सपठित राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 के नियम 25 तथा 25 एए यह प्रावधान करते हैं कि वाहनों (एक बारीय कर और एक मुश्त कर से आवृत्त वाहनों को छोड़कर) पर कर उस अवधि के अतिरिक्त जिसके दौरान वाहन निर्धारित कारणों से अनुपयोगी रहा एवं स्वामी द्वारा निर्धारित तरीके से पंजीयन प्रमाण-पत्र में कराधान अधिकारी को समर्पित कर दिया था, या कराधान अधिकारी को संतुष्ट करता है कि वाहन का उपयोग नहीं किया गया था, स्वामी द्वारा संदेय होगा।

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए चयनित 16 कार्यालयों में से सबसे बड़ी तीन इकाइयों यथा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर का पंजीयन प्रमाण पत्र के समर्पण के प्रकरणों की जांच के लिए चयन किया गया। अध्ययन में 2016-17 से 2018-19 की अवधि को समाविष्ट किया गया।

चयनित तीन परिवहन कार्यालयों में कुल 2.67 लाख यात्री एवं भार वाहन पंजीकृत थे, इनमें से 2,255 वाहनों (0.85 प्रतिशत) ने छूट हेतु आवेदन किया। इन वाहनों में से 68 सरकार (आरएसआरटीसी एवं जेसीटीएसएल) से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त 665 वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र वापस किये जाने थे।

चयनित कार्यालयों में पिछले 3 वर्षों के दौरान पंजीयन प्रमाण पत्र समर्पण के मामलों का विवरण निम्नानुसार है:

| क्र. स. | श्रेणी | कुल प्रकरण | चयनित प्रकरण | जाँचे गये प्रकरण | अप्रस्तुत प्रकरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आर सी समर्पित हुई लेकिन वापस नहीं की गई | 665 | 161 | 154 | 7 |
| 2 | आर सी समर्पण के पश्चात वापस कर दी गई | 1,590 | 383 | 271 | 112 |
| योग | | 2,255 | 544 | 425 | 119 |

लेखापरीक्षा में छूट प्रदान करने हेतु प्राप्त ऐसे वाहनों के प्रकरणों में जिनकी आर सी वापस कर दी गई थी, आवेदनों की स्थिति का अभिनिश्चय नहीं किया जा सका क्योंकि अपेक्षित दस्तावेजों की प्रतियां अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थीं। प्रपत्र एमटीजी के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की प्रतियां भविष्य में संदर्भ के लिए अभिलेखों में रखा जाना सुनिश्चित करने के लिए विभाग विचार कर सकता है।

चयनित कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा में पंजीयन प्रमाण पत्र समर्पण के ज्ञात हुए कारण निम्नतः थेः

| कारण | नियमों में निर्धारित | | | नियमों में अनिर्धारित | वर्णित नहीं | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मैकेनिकल ब्रेक डाउन, मरम्मत एवं संधारण | चोरी | दुर्घटना | मरम्मत के अयोग्य | | |
| संख्या | 352 | 6 | 4 | 36 | 26 | 425 |
| प्रतिशत | 83.06 | 1.41 | 0.94 | 8.47 | 6.12 | 100 |

यह स्पष्ट है कि 14.59 प्रतिशत वाहनों द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र ऐसे कारणों से समर्पित किये गये जो नियमों में निर्धारित नहीं थे या आवेदनों में पूर्णतः वर्णित नहीं थे ।

### 3.3.14.1 अपूर्ण आवेदनों का अनुमोदन

राजस्थान मोटरयान कराधान नियम, 1951 के नियम 25(3) के अनुसार वाहन स्वामी आवेदन के साथ पंजीयन प्रमाण पत्र, कर प्रमाण पत्र, कर टोकन, फिटनेस प्रमाण पत्र, प्राधिकार पत्र के साथ परमिट का भाग ए और बी, बीमा प्रमाण पत्र, आदि प्रस्तुत करेंगे । नियम 25(4) प्रावधान करता है कि आवेदक उस जगह को जहां की समर्पण अवधि के दौरान मोटरयान रखा जाएगा प्रपत्र एमटीजी में निर्दिष्ट करेगा । इसके अतिरिक्त नियम 25 (6) यह प्रावधान करता है कि कोई भी आवेदन जो कि अपूर्ण है या उप नियम (1) से (4) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, उसे वापस कर दिया जाएगा और ऐसा समझा जाएगा कि कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया ।

154 प्रकरण जिनमें पंजीयन प्रमाण पत्रों को समर्पित किया गया लेकिन वापस नहीं किया गया, की संवीक्षा से पता चला किः

(अ) 127 प्रकरणों में प्रपत्र एमटीजी में आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं थे ।

(ब) 136 प्रकरणों में आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों यथा फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र, पीयूसीसी और कर प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो चुकी थी ।

(सी) 78 प्रकरणों में समर्पण की अवधि का उल्लेख नहीं था ।

कराधान अधिकारी ने फिर भी बिना उचित संवीक्षा के अपूर्ण आवेदनों को स्वीकार किया । अपूर्ण आवेदन, आवेदकों को वापस किये जाने चाहिये थे लेकिन उन्हें वापस नहीं किया गया ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2020) । विभाग ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि कराधान अधिकारी द्वारा स्वयं को संतुष्ट किए जाने के बाद कि कोई कर बकाया नहीं था, दस्तावेजों के नहीं होने से नियमों के प्रतिकूल कोई परिणाम नहीं आया । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आवेदन जो उप नियम (1) से (4) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते उन्हें नियम 25(6) के प्रावधानों के अनुसार वापस किया जाना चाहिए था ।

### 3.3.14.2 नियमों में अनिर्धारित कारणों के लिए आवेदनों का अनुमोदन

नियम 25 एए में गैर उपयोग के कारण वर्णित है और प्रावधान है कि कराधान अधिकारी स्वयं को संतुष्ट करेगा और प्रमाणित करेगा कि वाहन का उपयोग, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिबंधित

होने, दुर्घटना में सम्मिलित होने, वसूली के लिए वाहन की कुर्की, पंजीयन प्रमाण पत्र के निलंबन या निरस्तीकरण, मैकेनिकल ब्रेकडाउन या मरम्मत और रखरखाव, किसी भी कानून के अंदर निषेधात्मक आदेश और अन्य परिस्थितियों और वाहन की चोरी के कारण, नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन कार्यालयों में पंजीयन प्रमाण पत्र समर्पण के 36 आवेदनों को वाहनों का मरम्मत के अयोग्य या स्क्रैप होने जैसे नियमों में अनिर्धारित कारण के बावजूद भी स्वीकार किया गया ।इस प्रकार, इन प्रकरणों में दी गई कर की छूट अनियमित थी । नियमानुसार इन प्रकरणों में पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त करने की कार्यवाही प्रारंभ की जानी थी, लेकिन नहीं की गई।

लेखापरीक्षा ने 30 प्रकरणों में ₹ 1.15 करोड़ कर छूट की राशि का आकलन किया। शेष छः प्रकरणों में लेखापरीक्षा द्वारा कर छूट की राशि का निर्धारण नहीं किया जा सका क्योंकि अभिलेखों में परमिट का विवरण उपलब्ध नहीं था।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2020)। विभाग ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि मैकेनिकल ब्रेकडाउन या मरम्मत और रखरखाव का कारण यह स्पष्ट करता है कि वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र ब्रेकडाउन या मरम्मत के कारणों से समर्पित किये जा सकते हैं, चाहे बाद में, यांत्रिक जांच में वह मरम्मत के अयोग्य पायी जायें।आवेदनों में छोटी-छोटी कमियों के कारण कर देयता नहीं बनती थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एक वाहन जो पूर्व से ही मरम्मत योग्य न हो उसे मरम्मत और रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती। इस कारण से, विभाग द्वारा वर्तमान में उनका मरम्मत और रखरखाव में वर्गीकरण सही नहीं था। विभाग को इन प्रकरणों में पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त करने की कार्यवाही प्रारंभ करनी चाहिए थी । इसके अतिरिक्त मरम्मत अयोग्य और स्क्रैप वाहनों के समर्पण को स्वीकार करने से, इन वाहनों की नियमित निगरानी और अभिलेखों को रखने का अवांछित बोझ बढ़ेगा जिनको हटाये जाने की आवश्यकता है।

### 3.3.14.3 आरसी समर्पण पंजिका का अनुचित संधारण

नियम 25(7) के अनुसार प्राप्त आवेदनों को क्रमबद्ध रूप से प्रपत्र एम.टी.एस. में रखी पंजिका मे प्रविष्ट किया जायेगा और उसमें की गई प्रत्येक प्रविष्टि को कराधान अधिकारी की ओर से लिखित रूप में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आद्याक्षरित किया जाएगा ।कराधान अधिकारी प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को पंजिका की जांच करेगा और अंतिम प्रविष्टि के नीचे हस्ताक्षर करेगा।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जयपुर में पंजीयन प्रमाण पत्र समर्पण पंजिका का संधारण प्रपत्र एमटीएस में नहीं किया जा रहा था।क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जोधपुर को छोड़कर, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जयपुर एवं उदयपुर में पंजिका में पूर्ण प्रविष्ठियां नहीं की गई थीं। इस तरह, वास्तव में कराधान अधिकारियों ने पंजिका में अपूर्ण विवरणों को सत्यापित किया । पंजिका का उचित संधारण वाहनों के बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान करता है और निगरानी में सहायता करता है। पंजिका के उचित संधारण के अभाव में विभागीय अधिकारियों को सरलता से वाहनों का विवरण नहीं मिल सका।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2020)।विभाग ने स्वीकार किया और बताया (फरवरी 2020) कि आपत्ति उपयुक्त

है और विभाग वर्तमान प्रणाली में विसंगतियों को दूर करने के लिए *वाहन* सॉफ्टवेयर पर पंजीयन प्रमाण पत्र समर्पण प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का प्रयास कर रहा है ।

### 3.3.14.4 पंजीयन प्रमाण पत्र समर्पित वाहनों की उचित निगरानी का अभाव

राजस्थान मोटरयान कराधान नियम, 1951 के नियम 25(4) के अनुसार वाहन स्वामी संबंधित कराधान अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना वाहन को निर्धारित स्थान से अन्य स्थान पर नहीं ले जायेगा । राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4(2) में प्रावधान है कि यदि मोटरयान पंजीयन प्रमाण पत्र समर्पण के बाद चलता हुआ पाया जाता है तो ऐसे वाहनों पर, समर्पण की अवधि के लिए, कर की राशि के पांच गुणा के बराबर शास्ति के साथ कर, अविलंब देय होगा ।

नियम 25(8) प्रावधान करता है कि कराधान अधिकारी प्रत्येक सप्ताह के अंत में गैर उपयोग में रखे गए वाहनों की सूची तैयार करेगा और ऐसे सभी वाहनों का निरीक्षण स्वयं या अधीनस्थ अधिकारी जो एमवीएसआई रैंक से नीचे का ना हो द्वारा किया जाएगा और ऐसे निरीक्षण का प्रतिवेदन नियम 25(7) के अनुसार फार्म एमटीएस में संधारित पंजिका में दर्ज किया जाएगा । राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वाहनों के प्रकरणों में निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित कराधान अधिकारी को अग्रेषित की जाएगी ।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि कराधान अधिकारी यह कार्य नहीं कर रहे थे । संपूर्ण समर्पण अवधि के दौरान केवल एक या दो बार निरीक्षण किए गए थे । यद्यपि पंजीयन प्रमाण पत्र को 34 महीने तक की अवधि के लिए समर्पित किया गया था । इसके अतिरिक्त राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम वाहनों से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदन अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे । ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को नोटिस जारी नहीं किए गए थे ।

जानकारी लेने पर, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जोधपुर ने सूचित किया कि दो प्रकरणों में पंजीयन प्रमाण पत्र समर्पण की अवधि के दौरान वाहन चलते हुए देखे गए थे । एक प्रकरण में कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया जबकि दूसरे प्रकरण में विभाग द्वारा वाहन को जब्त कर लिया गया था । इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जोधपुर में वाहन निरीक्षण प्रतिवेदन की संवीक्षा में ज्ञात हुआ कि एक प्रकरण में वाहन प्रपत्र एमटीजी में निर्दिष्ट स्थान पर नहीं पाया गया । ना तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा मोटरयान को अन्य स्थान पर हटाने की अनुमति दी गई थी ना ही बिना अनुमति वाहन हटाने पर कार्यवाही प्रारंभ की गई ।

इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि 18 वाहन स्वामियों ने, तीन वर्ष की अवधि के दौरान, मरम्मत के उद्देश्य से दो या तीन बार पंजीयन प्रमाण पत्र समर्पित किये । अभिलेखों में यह प्रदर्शित नहीं था कि बारंबार मरम्मत की आवश्यकता थी ।

पंजीयन प्रमाण पत्र समर्पण के लिए वर्णित कारणों की वास्तविकता की जांच के साथ-साथ सरकार के राजस्व हितों की रक्षा करने के लिए इन वाहनों का समय-समय पर निरीक्षण आवश्यक था । उचित निगरानी के अभाव में छूट के प्रावधानों के दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2020) । विभाग ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि प्रक्रिया की कठोर अनुपालना हेतु समय-समय पर निर्देश जारी किए गए थे ।

विभाग ऐसे प्रकरणों की निगरानी के लिये एक उचित प्रणाली विकसित करने और जहां पंजीयन प्रमाण पत्र को एक माह या अधिक के लिए समर्पित किया गया हो वहां पंजीयन प्रमाण पत्र समर्पण के आवेदन के साथ और पंजीयन प्रमाण पत्र वापस करने से पूर्व अधिकृत कार्यशाला से प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर विचार कर सकता है ।

### 3.3.14.5 पंजीयन प्रमाण पत्र समर्पण के प्रावधानों में कमी

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम और नियम 1951 की धारा 4(2) और नियम 25 के अनुसार पंजीयन प्रमाण पत्र समर्पण या अनुपयोग की न्यूनतम अवधि स्टेज कैरिज के लिए सात दिन और स्टेज कैरिज के अलावा वाहनों के लिए एक माह है, लेकिन नियमों में अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है ।

राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1998 के अंतर्गत उद्देश्य और कारणों का विवरण कहता है कि "तीन माह" के प्रावधान को "एक माह" के लिये संशोधित करने का प्रस्ताव, इसे और अधिक व्यवहारिक बनाने के लिये किया गया क्योंकि तकनीकी उन्नति के आधुनिक युग में वाहन की मरम्मत के लिए एक माह का समय पर्याप्त है ।

समीक्षा से पता चला कि 83 प्रतिशत (425 में से 353) पंजीयन प्रमाण पत्रों को वाहनों की मरम्मत और अनुरक्षण के कारण से समर्पित किया गया था । यह देखा गया कि 85 प्रकरणों में आवेदन, समर्पण की अवधि को निर्दिष्ट किए बिना प्रस्तुत किए गए थे, जबकि 257 प्रकरणों में आवेदन 12 माह तक की अवधि के लिए और 10 प्रकरणों में आवेदन 12 माह से अधिक अवधि के लिए प्रस्तुत किए गए । ये आवेदन कराधान अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किए गए थे ।

मरम्मत और अनुरक्षण के कारण अनुपयोग की अधिकतम अवधि के प्रावधान के अभाव में, पंजीयन प्रमाण पत्रों का समर्पण अनावश्यक रूप से लंबी अवधि के लिए किया गया। अधिक समय के लिए पंजीयन प्रमाण पत्रों का समर्पण न केवल संशोधन की मूल भावना से असंगत था बल्कि इसने राज्य के राजस्व संग्रहण को भी प्रभावित किया ।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पंजीयन प्रमाण पत्र वापस करते समय, इस बात के समर्थन में कि वाहन सडक पर संचालन योग्य है, कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जा रहे । इस प्रकार, ऐसे वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्रों का लंबी अवधि के लिये समर्पण उचित नहीं था ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2020) । विभाग ने अधिकतम अवधि के निर्धारण पर विचार करने की सहमति दी है (फरवरी 2020) ।

विभाग नियमों में वाहनों के अनुपयोग की अधिकतम अवधि को निर्धारित कर सकता है ।

### 3.3.14.6 समर्पण की अवधि की समाप्ति पर कार्यवाही का अभाव

नियम 25(1) प्रावधान करता है कि समर्पण के लिए आवेदन प्रपत्र एमटीजी में किया जाएगा । पंजीयन प्रमाण पत्र समर्पण की अवधि को प्रपत्र एमटीजी में उल्लिखित करना आवश्यक है ।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 289 प्रकरणों में या तो समर्पण की अवधि समाप्त हो गई थी या आवेदन में समर्पण की अवधि वर्णित नहीं थी। इन प्रकरणों में पंजीयन प्रमाण पत्र निर्मोचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किए गए। समर्पण की अवधि में विस्तार के लिये नियमों में प्रावधान नहीं था। तथापि, कराधान अधिकारी ने समर्पण की अवधि की समाप्ति के बाद से कर वसूली की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2020)। विभाग ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि समर्पण की निर्धारित अधिकतम अवधि के अभाव में आवेदक एकदम सही अवधि का उल्लेख करने से बचते हैं। आगे यह भी बताया कि *वाहन* की ऑनलाईन प्रणाली को अपनायेंगे और समुचित दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे जिससे ऐसी विसंगतियों को दूर किया जा सकेगा।

यह पूर्णरूप से स्पष्ट है कि आवेदन के अनुमोदन में अनियमितताएं, विभाग द्वारा वाहनों की लचर निगरानी और नियमों में कमी से राजकोष को राजस्व की हानि हुई। यदि छूट अनुमत्य नहीं की गई होती तो सरकार को 30 प्रकरणों में ₹ 1.15 करोड़ के राजस्व का अर्जन हो सकता था। इस विषय के विश्लेषण के लिए लेखापरीक्षा ने अन्य राज्यों के मोटर वाहन नियमों का संदर्भ लिया। यह देखा गया कि हरियाणा राज्य में कर से छूट का प्रावधान नहीं है जबकि कर्नाटक राज्य में बेडा स्वामी (फ्लीट ऑनर) के मोटर वाहन के अनुप्रयोग को प्रमाणित करने के अधिकार को आयुक्त तक सीमित करके कर से छूट की सुविधा को नियंत्रित किया गया है।

### 3.3.15 वाहन जनित प्रदूषण

केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115 में यह प्रावधान है कि मोटर वाहन का संधारण ऐसी स्थिति में किया जाएगा जो उत्सर्जन के मानकों का पालन करती हो। नियम 115(7) प्रावधान करता है कि प्रथम पंजीयन की तिथि से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद, ऐसे प्रत्येक वाहन के साथ वैध "प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र" (पीयूसीसी) होगा जो कि राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिकृत एजेंसी द्वारा जारी किया गया हो। प्रमाण पत्र की वैधता छः माह होगी। प्रदूषण जांच केंद्र की परिचालन प्रक्रिया को निर्धारित करने, योजना को रोजगारोन्मुखी बनाने और वाहनों के प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से "राजस्थान मोटर वाहन जांच केंद्र योजना (ऑनलाइन) 2017" (आरएमवीटीसी योजना 2017) प्रारंभ की गई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 23 फरवरी 2012 के अनुसार बी. एस.-IV वाहनों के मामलों में पीयूसीसी की वैधता एक वर्ष होगी।

#### 3.3.15.1 प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र

विभाग ने राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड द्वारा प्रदत्त नेटवर्किंग के माध्यम से पीयूसीसी के डेटाबेस को रखने की एक अच्छी कार्यप्रणाली प्रारंभ की और जब भी उत्सर्जन जांच नियत हो, वाहन स्वामियों को स्मरण कराने हेतु मोबाइल संदेश भेजे गये।

2014-15 से 2018-19 के दौरान जारी किए गए और जारी किए जाने वाले पीयूसीसी का

विवरण निम्न प्रकार है:

**(लाखों में)**

| वर्ष | पंजीकृत वाहन[28] (पूर्व वर्ष के अंत तक) | मानदंडों[29] के अनुसार जारी किए जाने वाले पीयूसीसी की संख्या | वर्ष के दौरान जारी पीयूसीसी | जारी किए गए पीयूसीसी की संख्या (प्रतिशत में) (4)/(3) |
|---|---|---|---|---|
| **2014-15** | 87.4 | 152.82 | 3.77 | 2.47 |
| **2015-16** | 96.68 | 181.41 | 9.66 | 5.32 |
| **2016-17** | 106.89 | 201.25 | 8.57 | 4.26 |
| **2017-18** | 117.03 | 221.38 | 12.06 | 5.45 |
| **2018-19** | 127.93 | 242.07 | 28.28 | 11.68 |

स्रोतः परिवहन विभाग का सांख्यिकीय सार (वर्ष 2018-19)

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाती है कि वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान केवल 2.47 से 11.68 प्रतिशत पीयूसीसी जारी किए गए थे । यद्यपि 2018-19 के दौरान जारी किए गए पीयूसीसी की संख्या में वृद्धि हुई है लेकिन मानदंडों के अनुसार अभी भी 88.32 प्रतिशत पीयूसीसी जारी नहीं किये जा सके । यह देखा गया कि विभाग ने *वाहन* डेटा का उपयोग उन स्वामियों को संदेश भेजने के लिए नहीं किया जो उत्सर्जन जांच के लिए उपस्थित नहीं हुए ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019) । सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि बिना पीयूसीसी के चलते पाये गये वाहनों पर कार्यवाही की गई थी । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग को नियमित प्रवर्तन कार्य के अतिरिक्त चूककर्ताओं को नोटिस जारी करने के लिए डेटा का उपयोग करना चाहिए था ।

### 3.3.15.2 प्रदूषण जांच मे असफल वाहनों कि उचित निगरानी का अभाव

चयनित 16 कार्यालयों मे से नौ कार्यालयों[30] ने प्रदूषण जांच मे असफल रहे वाहनों से संबंधित सूचना प्रस्तुत नहीं की । सात कार्यालयों[31] द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं से ज्ञात हुआ कि पाँच कार्यालयों[32] मे 5,823 वाहन जांच मे असफल हुए जबकि दो कार्यालयों[33] मे कोई भी वाहन जांच मे असफल नहीं हुआ ।

- दो कार्यालयों (क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, उदयपुर एवं जिला परिवहन अधिकारी, चौमूं) में 624 असफल वाहनों मे से केवल 150 वाहनों को ही पुनः जांच हेतु भेजा गया । पाली में

---

[28] 15 वर्ष से पहले पंजीकृत वाहन को शामिल नहीं किया गया है ।

[29] सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 23 फरवरी 2012 के अनुसार बी. एस.-IV वाहनों के मामलों में पीयूसीसी की वैधता अवधि एक वर्ष होगी । 2012 के बाद से पंजीकृत वाहनों को जारी करने हेतु अपेक्षित पीयूसीसी की संख्या की गणना के उद्देश्य से बी. एस.-IV वाहन माना गया है ।

[30] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारीः अलवर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़ और जयपुर; जिला परिवहन अधिकारीः भीलवाड़ा, चौमूं, डीडवाना, धौलपुर और नोहर ।

[31] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारीः भरतपुर, जोधपुर, पाली और उदयपुर; जिला परिवहन अधिकारीः भीलवाड़ा, चौमूं और श्रीगंगानगर ।

[32] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारीः भरतपुर, जोधपुर, पाली और उदयपुर; जिला परिवहन अधिकारीः चौमूं ।

[33] जिला परिवहन अधिकारीः भीलवाड़ा और श्रीगंगानगर ।

सभी 260 असफल वाहनों की पुनः जांच की गई । विभाग द्वारा प्रदूषण जांच में असफल वाहनों के संचालन को रोकने के लिए कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं कि गई। यह स्पष्ट है कि विभाग जांच के परिणामों की प्रभावी निगरानी नहीं कर रहा था ।

- दो कार्यालयों (क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, भरतपुर और जोधपुर) में 4,939 वाहन प्रदूषण जांच मे असफल रहे लेकिन उन्हे पुनः जांच के लिए नहीं भेजा गया ।

प्रदूषण जांच में असफल रहे वाहनों, जो कि पुनः जांच के लिए नहीं आए, के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई । यह दर्शाता है कि विभागीय अधिकारी प्रदूषण के मुद्दे पर संवेदनशील नहीं थे ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019)। सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि पीयूसीसी जारी करने पर निरंतर निगरानी रखी जा रही थी और अप्रैल 2019 से दिसंबर 2019 के दौरान जाँचे गए कुल 25.33 लाख वाहनों में से 0.30 लाख वाहन उत्सर्जन जांच में असफल हुए । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने केवल उत्सर्जन जांच के परिणाम के डाटा की निगरानी की, लेकिन चूककर्ताओं को पुनः जांच हेतु स्मरण-पत्र जारी नहीं किए ।

### 3.3.15.3 कार्यशाला वाले अधिकृत डीलरों को प्रदूषण जांच केंद्र हेतु प्राधिकार पत्र जारी नहीं करना

आरएमवीटीसी (ऑनलाइन) योजना, 2017 में प्रावधान है कि (I) प्राधिकार पत्र जिला परिवहन अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा (II) डीजल और पेट्रोल वाहनों के प्रत्येक केंद्र के लिए प्राधिकार शुल्क ₹ 5000 पृथक- पृथक लिया जाएगा। (III) प्राधिकार पत्र की वैधता अवधि 2 वर्ष होगी और वह नवीनीकरण शुल्क ₹ 5000 के भुगतान पर नवीनीकरण योग्य है। (IV) अधिकृत डीलर जिनके पास कार्यशाला है, के लिए प्रदूषण जांच केंद्र होना अनिवार्य है । (V) विद्यमान और नवीन डीलर्स को व्यापारिक प्रमाण पत्र लेने और नवीनीकरण के आवेदन के समय प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

चयनित 16 क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों में प्रदूषण जांच केंद्रों के अभिलेखों के साथ मोटर वाहन डीलर जिनके पास कार्यशाला है के विश्लेषण के दौरान यह देखा गया कि 15 कार्यालयों में किसी भी डीलर ने योजना के अंतर्गत प्राधिकार पत्र प्राप्त नहीं किया था जबकि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जयपुर में 231 डीलरों में से 224 डीलरों ने योजना के अंतर्गत प्राधिकार प्राप्त नहीं किए । इस प्रकार 996 डीलरों द्वारा प्राधिकार पत्र प्राप्त नहीं किया गया था । अभिलेखों में डीलरों द्वारा प्राधिकार पत्र प्राप्त किए जाने हेतु किये गये प्रयासों के संबंध में कुछ भी प्रदर्शित नहीं था । प्राधिकार पत्र के अभाव में डीलरों के व्यापार प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण करना योजना में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन था । यह इंगित करता है कि विभागीय अधिकारी योजना को ठीक तरह से लागू करने में असफल रहे। इसके परिणामस्वरूप 996 प्रकरणों में प्राधिकार शुल्क राशि ₹ 49.80 लाख की वसूली का अभाव रहा ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019) । सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि 14 प्रकरणों में ₹ 0.70 लाख की वसूली की जा चुकी है । इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि राजस्व की हानि नहीं हुई थी क्योंकि केंद्रीय मोटर वाहन नियम के अनुसार डीलरों के लिए जांच केंद्र की स्थापना अनिवार्य नहीं थी। प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजना में स्पष्टतः वर्णित है कि मोटर वाहन

डीलर जिन के पास कार्यशाला है, को प्रदूषण जांच केंद्र के लिए प्राधिकार प्राप्त करना अनिवार्य था।

## 3.3.16 आंतरिक नियंत्रण

### 3.3.16.1 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण तंत्र का एक आवश्यक अंग है। अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के साथ-साथ, समय-समय पर जारी किए गए विभागीय निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए परिवहन कार्यालयों में संधारित अभिलेखों की लेखापरीक्षा के लिए विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा समूह है।

स्वीकृत सात दलों के विरुद्ध चार से पांच निरीक्षण दलों को लेखापरीक्षा के लिए लगाया गया था।

- **आंतरिक लेखापरीक्षा की बकाया**

आंतरिक लेखापरीक्षा की विगत पांच वर्षों की स्थिति निम्नानुसार थीः-

| वर्ष | वर्ष के प्रारंभ में बकाया इकाइयां | वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के लिए चयनित इकाइयां | लेखापरीक्षा के लिए बकाया कुल इकाइयां | वर्ष के दौरान लेखा परीक्षित इकाइयां | लेखापरीक्षा नहीं की गई इकाइयां | कमी प्रतिशत में |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2014-15** | 4 | 51 | 55 | 45 | 10 | 18.18 |
| **2015-16** | 10 | 57 | 67 | 66 | 1 | 1.49 |
| **2016-17** | 1 | 57 | 58 | 50 | 8 | 13.79 |
| **2017-18** | 8 | 57 | 65 | 44 | 21 | 32.31 |
| **2018-19** | 21 | 57 | 78 | 71 | 7 | 8.97 |

स्रोतः परिवहन आयुक्त द्वारा प्रदत्त सूचनाएं।

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि आंतरिक लेखापरीक्षा की बकाया की सीमा एक इकाई से 21 इकाइयों तक थी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2014-15 और 2017-18 में यह बकाया उल्लेखनीय थी। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि वर्ष 2018-19 मे चार लेखापरीक्षा दलों द्वारा चयनित 57 इकाइयों के विरुद्ध कुल 71 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई। इस प्रकार, किए गए कार्य की गुणवत्ता का आश्वासन नहीं दिया जा सकता क्योंकि कम दल संख्या के साथ योजनागत इकाइयों से अधिक इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई थी।

- **आंतरिक लेखापरीक्षा के बकाया अनुच्छेद**

आंतरिक लेखापरीक्षा के बकाया अनुच्छेदों का वर्ष वार विवरण निम्नानुसार थाः

| वर्ष | 2014-15 तक | 2015-16 | 2015-16 (अनुपूरक) | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **अनुच्छेद** | 3,262 | 833 | 866 | 801 | 1,057 | 220 | 7,039 |

स्रोतः परिवहन आयुक्त द्वारा प्रदत्त सूचनाएं।

वर्ष 2018-19 के अंत तक कुल 7,039 आंतरिक लेखापरीक्षा अनुच्छेद बकाया थे इनमें से 3,262 अनुच्छेद (46.34 प्रतिशत) पाँच वर्ष से अधिक समय से बकाया थे । बकाया अनुच्छेदों की अधिक संख्या यह इंगित करती है कि विभाग ने आंतरिक लेखापरीक्षा समूह द्वारा बताई गई टिप्पणियों की प्रभावी अनुपालना नहीं की । इस प्रकार आंतरिक लेखापरीक्षा का वास्तविक उद्देश्य इस सीमा तक प्राप्त नहीं हुआ ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019) । सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2000) कि बकाया अनुच्छेदों के निपटान के लिए अनुच्छेद निपटान शिविरों का आयोजन किया जा रहा था ।

### 3.3.16.2 विभागीय नियमावली का अद्यतन ना होना

विभागीय नियमों, संरचना, विभागीय अधिकारियों/कार्मिकों के कार्यों एवं कर्तव्यों को संकलित करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग द्वारा वर्ष 2001 में विभागीय नियमावली तैयार की गई ।

परिवहन आयुक्तालय के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाया गया कि विभाग द्वारा उपयोग में ली जा रही नियमावली का प्रकाशन 2001 में किया गया था । अभिलेखों में नियमावली को अद्यतन करने के कारण नहीं पाये गये ।

परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग, नियम और विनियम में संशोधन, विभागीय संरचना में परिवर्तन, आदि के साथ बड़े पैमाने पर बदलाव हुए हैं । सड़क सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण जैसे नए पहलुओं पर ध्यान देने से विभाग का कार्य क्षेत्र भी बढ़ा है । इस कारण से विभिन्न समूहों की उचित कार्य प्रणाली सुनिश्चित करने और नवीन पहलुओं से कार्मिकों को अवगत कराने हेतु संबंधित मार्गदर्शन एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए नियमावली को अद्यतन करने की आवश्यकता है ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019) । सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि नियमावली को अद्यतन करने का कार्य प्रगति पर था ।

### 3.3.16.3 निजी फिटनेस जांच केंद्रों का निरीक्षण

वाहन फिटनेस जांच केंद्र विनियमन योजना, फिजा 2018 के बिंदु 7 के अनुसार, निजी फिटनेस जांच केंद्रों का निरीक्षण जिला परिवहन अधिकारी द्वारा प्रत्येक तीन महीने में एक बार और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी /एआरटीओ द्वारा छः माह मे एक बार किया जाना है ।

निजी केंद्रों के निरीक्षण से संबंधित सूचना केवल सात कार्यालयों[34] द्वारा प्रदान की गई यद्यपि चयनित 16 क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों से मांगी गई थी । इन कार्यालयों के क्षेत्राधिकार में 12 निजी केंद्र कार्यरत थे सिवाय क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सीकर और जिला परिवहन अधिकारी नोहर के, जहां निजी फिटनेस केंद्र स्थापित नहीं थे । सूचनाओं की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि 2018-19 के दौरान 12 निरीक्षण किए गए थे । मानदंडों के अनुसार जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा इन केंद्रों के 48 निरीक्षण किए जाने थे लेकिन केवल 10 निरीक्षण किए गए । शेष दो प्रकरणों में निरीक्षण अधिकारी का उल्लेख नहीं था । क्षेत्रीय परिवहन

[34] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारीः जोधपुर, कोटा, सीकर और उदयपुर; जिला परिवहन अधिकारीः धौलपुर, नोहर और श्रीगंगानगर ।

अधिकारियों द्वारा निर्धारित 24 निरीक्षण के विरुद्ध कोई निरीक्षण नहीं किया गया । निरीक्षण नहीं करने के कारण भी अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे । इस प्रकार उपरोक्त से स्पष्ट था कि इन फिटनेस केंद्रों के कार्यों की विभाग द्वारा उचित निगरानी नहीं की गई ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019) । सरकार ने स्वीकार किया (जनवरी 2020) कि इस योजना के अनुसार निजी फिटनेस केंद्रों का निरीक्षण जिला परिवहन अधिकारी और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/ एआरटीओ द्वारा क्रमशः तिमाही और छमाही में एक बार किया जाना चाहिए ।

### 3.3.16.4 प्रदूषण जांच केंद्रों (पीसीसी) का निरीक्षण

आरएमवीटीसी योजना, 2017 के बिंदु आठ के अनुसार प्रत्येक पीसीसी का निरीक्षण परिवहन अधिकारी, जो उप निरीक्षक से निम्न पद का नहीं हो, के द्वारा वर्ष में दो बार किया जाना अपेक्षित है और निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

परिवहन आयुक्त द्वारा प्रदत सूचनाओं (जुलाई 2019) की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि राज्य में 1,359 पीसीसी कार्य कर रहे थे (क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, दौसा के अतिरिक्त) । विभाग में 2 अप्रैल 2019 को 507 परिवहन अधिकारी जो कि उप निरीक्षक से निम्न पद के नहीं थे, कार्य कर रहे थे । निर्धारित मानदंडों के अनुसार 2017-19 की अवधि के दौरान 5,436 निरीक्षण किए जाने थे, तथापि उक्त अवधि के दौरान केवल 1,249 निरीक्षण किए गए जो लक्ष्य से बहुत दूर थे । यदि एक अधिकारी द्वारा एक वर्ष में छः निरीक्षण किए गए होते तो लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया होता । लेकिन विभाग योजना के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कर सका । इस प्रकार पीसीसी के कार्यों पर विभाग का नियंत्रण उस सीमा तक अप्रभावी था ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019) । सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि पीसीसी का निरीक्षण नियमित रूप से प्रत्येक छः माह में किया जा रहा था और हाल ही में 1,409 केंद्रों के 869 निरीक्षण किए गए हैं । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मानदंडों के अनुसार निरीक्षण नहीं किए गए ।

### 3.3.16.5 मांग और संग्रहण पंजिका का रखरखाव नहीं करना

राजस्थान मोटरयान कराधान नियम, 1951 के नियम 36-ए (7) के अनुसार, कराधान अधिकारी कर, शास्ति और ब्याज का विवरण मांग और संग्रहण पंजिका में दर्ज करेगा ।

अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि जिला परिवहन अधिकारी, चौमूं द्वारा मांग और संग्रहण पंजिका संधारित नहीं की गयी थी । पूछे जाने पर जिला परिवहन अधिकारी, चौमूं ने बताया की मांग और संग्रहण पंजिका का संधारण क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जयपुर द्वारा किया जाना था क्योंकि परमिट उनके द्वारा जारी किए गए थे । तथापि, विद्यमान नियमों के अनुसार मांग और संग्रहण पंजिका का संधारण कराधान अधिकारी होने के कारण जिला परिवहन अधिकारी द्वारा किया जाना था ।

मांग और संग्रहण पंजिका के अभाव में, चूककर्ताओं की पहचान, मांग के पत्र जारी करने और राजस्व के संग्रहण में कार्यालयों की प्रभावशीलता, सुनिश्चित नहीं की जा सकी ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019)। सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि मांग और संग्रहण पंजिका डिजिटल रूप में बनेगी क्योंकि बकाया कर/ मांग की निगरानी ऑनलाइन की जाएगी और कर की गणना स्वतः की जाएगी। उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि विभाग ने अभी तक इसका संधारण नहीं किया है।

### 3.3.17 सॉफ्टवेयर

*"वाहन"* और *"सारथी"* सॉफ्टवेयर को राज्य में चरणबद्ध तरीके से क्रमशः अक्टूबर 2009 और सितंबर 2009 से प्रारंभ किया गया। वर्तमान में *वाहन* 4.0 सॉफ्टवेयर का उपयोग 61 कार्यालयों में और *सारथी* सॉफ्टवेयर का 75 कार्यालयों (18 उप कार्यालयों सहित) में किया जा रहा है। विभाग ने *सारथी* सॉफ्टवेयर की अधिगम (एक्सेस) प्रदान नहीं की, इस कारण से सॉफ्टवेयर की कार्यप्रणाली का विश्लेषण नहीं किया जा सका। *वाहन* सॉफ्टवेयर के अध्ययन में निम्न कमियों का पता चलाः

#### 3.3.17.1 *"वाहन"* का आंशिक उपयोग

*वाहन* सॉफ्टवेयर, वाहनों से संबंधित सूचनाओं के डेटा प्रबंधन को स्वचालित (ऑटोमेट) करने के लिए परिकल्पित किया गया था। सॉफ्टवेयर में पाँच मॉड्यूल[35] दिए गए हैं। तथापि, प्रवर्तन मॉड्यूल को अभी तक भी संचालित नहीं किया गया था। मॉड्यूल का संचालन नहीं होने के कारण विभाग अपराधों, वाहन चालकों/स्वामियों द्वारा मोटर वाहन नियमों के उल्लंघन और प्रशमन के लिए बकाया चालानों का विश्लेषण नहीं कर सका। इस प्रकार विभाग सॉफ्टवेयर का पूरा लाभ लेने में असफल रहा।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019)। सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि ई-चालान एप्लीकेशन को चरणबद्ध रूप से लागू किया जा रहा था।

#### 3.3.17.2 "ई-ग्रास" का *"वाहन"* के साथ आंशिक एकीकरण

राजस्थान सरकार के वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग ने परिपत्र दिनांक 25 जुलाई 2018 के द्वारा राजस्व विभागों को ई-ग्रास के साथ विभागीय एप्लीकेशन को एकीकृत करने और उसके पश्चात् चालानों को स्वतः विरूपित (Deface) करने की सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए।

विभागीय एप्लीकेशन के ई-ग्रास के साथ एकीकरण के संबंध में पूछताछ किए जाने पर (फरवरी 2019) विभाग ने सूचित किया कि लाइसेंस से संबंधित सेवाओं के विभागीय एप्लीकेशन और गैर परिवहन वाहनों के पंजीयन (केवल डीलर के स्तर तक) को ई-ग्रास के साथ एकीकृत किया जा चुका था। इसके अतिरिक्त विभाग ने बताया कि "निक" (एनआईसी) ने स्वतः विरूपण सुविधा प्रदान करने के लिए *"वाहन"* को जोड़ दिया था। विभागीय एप्लीकेशन के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधित ई-ग्रास "चालान" के लिए स्वतः विरूपण सुविधा उपलब्ध थी। सेवा प्रदान करने के बाद संबंधित कार्यालयों द्वारा शेष चालानों को विरूपित किया जा रहा था।

[35] वाहन पंजीयन, परमिट, कर, फिटनेस और प्रवर्तन मॉड्यूल।

यह देखा गया कि डीलर के स्तर पर गैर परिवहन वाहनों के पंजीयन के अतिरिक्त अन्य सेवाओं के लिए वाहन को ई-ग्रास के साथ एकीकृत नहीं किया गया था। इस कारण से अन्य सेवाओं से संबंधित ई-ग्रास चालान को वाहन स्वामियों द्वारा परिवहन कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करना पड़ता था और रसीद के सत्यापन के पश्चात उसकी प्रविष्टि की जाती थी। इस प्रकार इन दो प्रणालियों (सिस्टम) को एकीकृत नहीं करने के कारण बडे पैमाने पर जनता को सुविधा नहीं दी जा सकी।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019)। सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि ई-ग्रास के साथ *वाहन* 4.0 के पूर्ण एकीकरण के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा जा चुका है।

### 3.3.17.3 सॉफ्टवेयर में छूट प्रदान करने के लिए प्रावधान का अभाव

राजस्थान सरकार ने अधिसूचना 1 वी दिनांक 8 मार्च 2017 से प्रावधान किया कि नए वाहनों/चेसिस के प्रकरणों में, कर की गणना के लिए वाहन की कीमत, किसी भी निर्माता या व्यवहारी द्वारा किसी प्रोत्साहन योजना के अधीन या अन्यथा कीमत में दी गई किसी डिस्काउंट, रिबेट या रियायत को अपवर्जित करते हुए समस्त करों या उद्ग्रहणों को सम्मिलित करते हुए क्रय बिल में यथादर्शित एक्स शोरूम कीमत होगी। विभाग ने कार्यालय आदेश दिनांक 20 सितंबर 2018 के द्वारा क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारियों और पंजीयन प्राधिकारियों को निर्देश दिए कि 1 अक्टूबर 2018 से एक बारीय कर की गणना, निर्माता द्वारा *वाहन* 4.0 पर प्रदान की गई कीमत जिसे होमोलोगेशन[36] से लिया जाये, के आधार पर करना सुनिश्चित करें।

पंजीयन अभिलेखों और वाहन सॉफ्टवेयर की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि एक बारीय कर की गणना डीलर द्वारा दी गई छूट को अपवर्जित किए बिना होमोलोगेशन से कीमत लेकर की जा रही थी। इस प्रकार विभाग के उपरोक्त आदेश ने अधिसूचना द्वारा प्रदत्त लाभ से जनता को वंचित कर दिया।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019)। सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि संबंधित शाखा प्रभारी को तथ्यों के सत्यापन/अनुपालना के निर्देश दिए जा चुके हैं।

## 3.3.18 सड़क सुरक्षा

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति, 2010 की तर्ज पर राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य सड़क सुरक्षा नीति को अनुमोदित किया (21 मार्च 2017)। विभाग ने राज्य नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना (अक्टूबर 2017) तैयार की और लक्ष्यों को निर्धारित किया।

विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं और अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चलाः

### 3.3.18.1 सड़क सुरक्षा निधि का कम उपयोग

सड़क दुर्घटनाओं में कमी में सहायता करने, सड़क सुरक्षा नीति और गतिविधियों को लागू करने, संस्थागत बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और परिवहन प्रणाली को सुरक्षित बनाने के लिए समर्पित सड़क सुरक्षा निधि 2016 बनाई गई (अप्रैल 2017)। परिवहन विभाग निधि के

[36] होमोलोगेशन, वाहन सॉफ्टवेयर में एक पोर्टल है जहां से चैसिस नंबर के माध्यम से वाहन का विवरण खींच लिया जाता है।

प्रबंधन और संचालन के लिए नोडल विभाग है । निधि से राशि स्वीकृत करने की शक्तियां सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ को थी ।

निधि के आवंटन और उपयोग की स्थिति 2017-19 के दौरान निम्न प्रकार है:

**(₹ करोड़ में)**

| वर्ष | बजट आवंटन | बजट उपयोग | अनुपयोग बजट | अनुपयोग का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| **2017-18** | 89.42 | 37.14 | 52.28 | 58.47 |
| **2018-19** | 80.52 | 9.12 | 71.40 | 88.67 |

यह स्पष्ट है कि निधि को प्रभावी तरीके से उपयोग नहीं किया गया ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019) । सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि 2017-18 निधि की स्थापना का प्रथम वर्ष था इस कारण इसका उपयोग वर्ष के दौरान नहीं किया जा सका जबकि वर्ष 2018-19 में उपयुक्त बजट शीर्ष खोलने में लगे समय और आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इसका उपयोग नहीं किया जा सका । उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि बजट आवंटन विस्तृत बजट शीर्ष के अनुसार था ।

### 3.3.18.2 सड़क दुर्घटनाओं से मृत्यु में कमी का लक्ष्य

राज्य में सड़क दुर्घटनाओं से मृत्यु में वर्ष 2015 के आंकड़ों आधार पर वर्ष 2020 तक 50 प्रतिशत कमी के लिये राज्य की नीति प्रतिबद्ध थी । नीति में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वर्ष 2018, 2019 एवं 2020 में क्रमशः 15, 15 और 20 प्रतिशत वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए गए । राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति निम्नानुसार थी:

| वर्ष | दुर्घटनाओं की संख्या | मौतों की संख्या | आधार वर्ष यानी 2015 से प्रतिशत कमी |
|---|---|---|---|
| **2015** | 24,072 | 10,510 | - |
| **2016** | 23,066 | 10,465 | 0.43 |
| **2017** | 22,112 | 10,444 | 0.62 |
| **2018** | 21,743 | 10,320 | 1.80 |

स्रोतः प्रशासनिक प्रतिवेदन 2018-19

यह स्पष्ट है कि तीन वर्ष के बाद भी दुर्घटनाओं से मृत्यु की संख्या में केवल 1.80 प्रतिशत की कमी हुई । इस प्रकार, प्रथम तीन वर्षों की धीमी गति ने, समय सीमा में लक्ष्य प्राप्त करने की संभाव्यता को कम कर दिया ।

तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों ने 2017-18 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की संख्या में क्रमशः 32.26 और 6.67 प्रतिशत कमी की उपलब्धि प्राप्त की जबकि राजस्थान में इस संख्या में केवल 1.80 प्रतिशत की कमी थी ।

सड़क दुर्घटनाओं से जनहानि में उच्च मानवीय पीड़ा, जख्म, समय पूर्व मृत्यु से सामाजिक आर्थिक लागत और व्यक्तिगत एवं उनके परिवार की उत्पादकता में कमी समाहित होती है । इस कारण से, मृत्यु संख्या में कमी को गंभीरतापूर्वक ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019)। सरकार ने इस तथ्य को स्वीकार किया (जनवरी 2020) कि वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई और आगे बताया कि हितधारक विभागों द्वारा ईमानदारी से प्रयास किए गए थे।

### 3.3.18.3 ड्राइविंग प्रशिक्षण सुविधा

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 12 और नियम 24 से 31 ए लाइसेंस प्रदान करने और मोटर ड्राइविंग स्कूलों (एमडीएस) के विनियमन के प्रावधानों से संबंधित है। राजस्थान सरकार ने अधिसूचना दिनांक 30 जून 2004 और 1 जुलाई 2004 से मोटर वाहन स्कूलों को प्रशिक्षु लाइसेंस जारी करने के लिए शक्ति प्रदान की। इसके अतिरिक्त परिवहन विभाग ने मोटर ड्राइविंग स्कूल नियंत्रण और विनियमन योजना (एमडीएसआर)-2018 आरंभ की (अप्रैल 2018)।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि एमडीएसआर-2018 के अनुसार, गैर परिवहन वाहनों के लिए 21 दिन और परिवहन वाहनों के लिए 30 दिन का इन्डोर प्रशिक्षण तथा गैर परिवहन वाहनों के लिए 10 घंटे और परिवहन वाहनों के लिए 15 घंटे का बाह्य (आउटडोर) प्रशिक्षण अनिवार्य है। व्यावहारिक और सैद्धांतिक प्रशिक्षण के लिए अनुदेश भी निर्धारित किए गए थे। तथापि विभाग ने कोई ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र स्थापित नहीं किया था। इसके अतिरिक्त गैर परिवहन वाहनों के लिये लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण लेना अनिवार्य नहीं है। इसके अतिरिक्त धारा 2 (21) के अनुसार हल्के मोटर वाहन का चालक, 7,500 किलोग्राम सकल वाहन भार तक के परिवहन वाहन चला सकता है।

11 पुलिस अधीक्षकों/उप अधीक्षकों[37] से संग्रहित सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि 2017-18 के दौरान हुई 8,964 दुर्घटनाओं में से 5,968 दुर्घटनाओं (67 प्रतिशत) में गैर परिवहन वाहन सम्मिलित थे। ऐसे वाहनों को चलाने के लिए लाइसेंस, बिना पूर्व प्रशिक्षण की बाध्यता के एक जांच के आधार पर जिसमें 5-10 मिनट का समय लगता है, दिए गए थे। इसके अतिरिक्त 208 प्रकरणों में चालकों के पास वैध लाइसेंस नहीं थे। इसके अतिरिक्त 93 प्रतिशत दुर्घटनाएं वाहन चालकों द्वारा तेज गति से वाहन चलाने और लापरवाही के कारण हुई।

इससे गैर परिवहन वाहन चालकों में ड्राइविंग कौशल की कमी और खराब ड्राइविंग आदतें इंगित होती है। यह सड़क सुरक्षा के उद्देश्य से प्रशिक्षण और नियमित अंतराल पर रिफ्रेशर (पुनश्चर्या) कोर्स की आवश्यकता की ओर भी इंगित करता है।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019)। सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि विभाग द्वारा 343 मोटर ड्राइविंग स्कूल स्वीकृत किए गए थे।

### 3.3.18.4 पुराने वाहनों को चरणबद्ध रूप से न हटाना

वाहनों की संख्या में वृद्धि और सड़कों का विस्तार बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के अंतर्निहित घटक हैं। लेकिन दूसरी ओर, वाहनों की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि के कुछ प्रतिकूल दुष्प्रभाव भी हैं।

[37] भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, कोटा, नोहर, पाली, सीकर, श्रीगंगानगर और उदयपुर।

भारी यातायात की समस्या को दूर करने के लिए विभाग को पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए चरणबद्ध रूप से वाहन हटाने की नीति की रूपरेखा बनानी और लागू करनी चाहिए।

विभाग ने पुराने वाहनों को चरणबद्ध रूप से हटाने के लिए दो चरणों में कार्यवाही प्रारंभ की (सितंबर 2016)।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जयपुर के अतिरिक्त चयनित 15 परिवहन कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों और सूचनाओं की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि मार्च 2018 के अंत तक 9.65 लाख वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्रों की वैधता समाप्त हो गई थी। इनमें से 1.89 लाख वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण किया गया और 2.42 लाख को निरस्त किया गया। तथापि शेष 5.34 लाख पुराने वाहनों को हटाने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, ऐसे वाहनों जिनके पंजीयन प्रमाण पत्रों को निरस्त किया गया था, के निस्तारण की क्रियाविधि विद्यमान नहीं थी।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019)। सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि शेष 5.34 लाख पुराने वाहनों को 30 सितंबर 2016 के परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार हटा दिया जाएगा।

### 3.3.18.5 श्रेष्ठ प्रथायें

विभाग ने सड़क सुरक्षा की कार्य योजना में सूचीबद्ध कुछ लक्ष्यों के अन्तर्गत महत्वपूर्ण प्रगति की है जैसे कि सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा, काले धब्बों (ब्लैक स्पॉट) में सुधार, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग के लिए जागरूकता अभियान, राजमार्गों पर स्थित स्कूलों के लिए विशेष अभियान, वाणिज्यिक ड्राइवरों के लिए प्रशिक्षण आदि।

सड़क सुरक्षा नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, विभाग मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपनाई गई निम्नलिखित प्रथाओं को अपनाने पर भी विचार कर सकता है:

- लाइसेंस जारी करने से पूर्व प्राथमिक चिकित्सा का अनिवार्य प्रशिक्षण;
- भारी वाहनों के लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम;
- अशिक्षित वाहन चालकों, भारी वाहन चालकों और स्कूल बस चालकों के लिए जागरूकता पाठ्यक्रम;
- प्रशिक्षण के लिए सिम्युलेटर और ड्राइविंग ट्रेक के उपयोग को बढ़ावा;
- सार्वजनिक निजी सहभागिता प्रणाली से चालक प्रशिक्षण सुविधाओं जैसे मोटर ड्राइविंग स्कूल, इत्यादि की स्थापना करना आदि।

## 3.3.19 जागरुकता और समन्वय

### 3.3.19.1 वाहन स्वामियों को जाली रसीदों के माध्यम से कर के कपटपूर्ण भुगतान की घटनाओं से बचाने के लिए अपर्याप्त प्रयास

विभाग ने आदेश 3/2015 दिनांक 26 फरवरी 2015 के द्वारा अन्य राज्यों में पंजीकृत वाहनों को चेक पोस्ट पोर्टल के माध्यम से कर के भुगतान की ऑनलाइन सुविधा प्रदान की।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, भरतपुर में संधारित अभिलेखों की नमूना जांच में देखा गया कि 4 प्रकरणों (2016 और 2018 में घटित) में वाहन स्वामियों ने निजी ऑपरेटर के माध्यम से

भुगतान किया लेकिन विभाग के प्रवर्तन दलों ने निजी ऑपरेटर द्वारा जारी रसीदों को जाली पाया।

यह देखा गया कि विभाग ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जैसे कि वाहन स्वामियों में जागरूकता फैलाना, चेक पोस्ट पोर्टल के माध्यम से कर भुगतान की ऑनलाइन सुविधा का प्रकाशन करना और सीमावर्ती क्षेत्रों के समीप कर संग्रह केंद्रों में नकद जमा कराना आदि।

ध्यान में लाए जाने पर जिला परिवहन अधिकारी भरतपुर ने बताया कि ऐसी घटनाओं से बचाव हेतु वाहन स्वामियों मे जागरूकता फैलाने के लिए होर्डिंग्स, बैनर और प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से प्रयास किए गए थे। तथापि, अभिलेखों में कार्यालय द्वारा ऐसे प्रयास किये जाने के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019)। सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि सीमावर्ती जिलों और चेक पोस्टों के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को ऑनलाइन भुगतान सुविधा के बारे में प्रकाशन के लिए निर्देशित किया गया था।

### 3.3.19.2 मोटर वाहन कानूनों के क्रियान्वयन के लिए अन्य विभागों का संवेदीकरण

राज्य में मोटर वाहन कानूनों का क्रियान्वयन परिवहन विभाग की जिम्मेदारी है। इसके अतिरिक्त, मोटर वाहन कानून के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए, विभाग को अन्य विभागों/एजेंसियों को जहां वाहनों का उपयोग होता है को संवेदनशील (sensitise) करने की आवश्यकता है।

राज्य सरकार ने कृषि ट्रैक्टर/ कंबाइन हार्वेस्टर पर वाहन की लागत का 0.30 प्रतिशत एक बारीय कर की दर निर्धारित की । इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 4-सी के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा गैर-कृषि ट्रैक्टर-ट्रेलर्स जिसे भार वाहन के रूप में उपयोग में लिया जाता है पर एक मुश्त कर की दर ट्रैक्टरों की लागत जिससे ट्रेलर जुड़ा हुआ है के 9 प्रतिशत के रूप में निर्धारित की गई (14 जुलाई 2014) और 8 मार्च 2016 से उसे संशोधित कर 1 प्रतिशत कर दिया।

विभिन्न गतिविधियों, जैसे स्वच्छता, जलापूर्ति, खनिजों और मदिरा के परिवहन जिनमें वाहन लगे होते हैं, के बारे में सूचनाएं संबंधित विभागों से संग्रहित की गई। इन विभागों से प्राप्त सूचनाओं की संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चलाः

- यह पाया गया कि 13 क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों[38] के क्षेत्राधिकार में सात स्थानीय निकायों[39] और 12 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग[40] के कार्यालयों द्वारा 998 ट्रेक्टरों को गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए किराए पर लिया गया था। इन वाहनों द्वारा गैर-कृषि उपयोग के लिए निर्धारित दरों के स्थान पर कृषि ट्रैक्टरों के लिए निर्धारित करों का भुगतान किया जा रहा था।

[38] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारीः अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली, सीकर और उदयपुर; जिला परिवहन अधिकारीः डीडवाना, नोहर और श्रीगंगानगर।

[39] नगर निगम/परिषदः अलवर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, डीडवाना, पाली, सीकर और श्रीगंगानगर।

[40] जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागः अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, डीडवाना, जयपुर, जोधपुर, कोटा, नोहर, सीकर, श्रीगंगानगर और उदयपुर।

- राज्य आबकारी विभाग में माह जनवरी 2019 में 622 गैर-परिवहन वाहन, मदिरा के परिवहन में संलग्न थे, जो कि 15 परिवहन कार्यालयों[41] के क्षेत्राधिकार में थे। इन वाहनों द्वारा एक मुश्त कर के स्थान पर गैर परिवहन वाहनों के लिए निर्धारित एक बारीय कर का भुगतान किया गया।

इस प्रकार परिवहन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता कार्यालयों का संवेदीकरण नहीं करने के परिणामस्वरूप मोटर वाहन कानून का उल्लंघन हुआ।

प्रकरणों को विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019)। सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि अन्य विभागों को परिवहन के उद्देश्य के लिए गैर परिवहन वाहनों के उपयोग को रोकने के लिए पत्र भेजे जा रहे थे और कोष एवं लेखा विभाग को ऐसे वाहनों के बिलों को स्वीकार नहीं करने के लिए परिपत्र/ कार्यालय आदेश जारी किए जा रहे थे।

**अन्य मामले**

### 3.3.20 संविदा कर्मियों को रखने के कारण परिहार्य व्यय

विभाग ने अनुबंध के आधार पर केंद्रीय उड़न दस्तों (सीएफएस) के लिए अवधि मार्च 2017 से फरवरी 2019 तक 10 सुरक्षा गार्डों और दो वाहन चालकों को कार्य पर लेने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की (मार्च 2017 और 2018)। आदेश की शर्त संख्या तीन के अनुसार एक सीएफएस के लिए दो सुरक्षा गार्डों की आवश्यकता थी। यदि सीएफएस कार्यरत नहीं हो तो तद्नुसार कार्मिकों के आवंटन में कमी की जानी थी।

परिवहन आयुक्त कार्यालय में संधारित अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि सुरक्षा गार्डो और वाहन चालकों को उपलब्ध करवाने का अनुबंध मैसर्स राजस्थान एक्स सर्विसमैन कॉर्पोरेशन को दिया गया था। ठेकेदार ने अवधि मार्च 2017 से फरवरी 2019 के दौरान सीएफएस के लिए आठ से 10 सुरक्षा गार्ड और दो वाहन चालक उपलब्ध करवाए। लेखापरीक्षा ने देखा कि उस अवधि में किसी भी सीएफएस का गठन नहीं हुआ था। इसलिए, ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाए गए गार्डों और वाहन चालकों की सेवाओं की आवश्यकता नहीं थी और इन कार्मिकों को काम पर रखने से बचा जा सकता था। इसके परिणामस्वरूप इन गार्डों और वाहन चालकों को काम पर रखने से ₹ 34.88 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019)। सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि इन सुरक्षा गार्डों की सेवाओं का उपयोग अन्य विभागीय गतिविधियों में किया गया था, इसलिए यह व्यय शासकीय कार्यों के सुचारू संचालन के लिए उपयोगी रहा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सुरक्षा गार्ड प्रवर्तन उद्देश्य के लिए काम पर रखे गए थे ना कि कार्यालयीन कार्यों के लिए।

[41] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारीः अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, कोटा, जयपुर, जोधपुर, पाली, सीकर और उदयपुर; जिला परिवहन अधिकारीः भीलवाड़ा, चौमूं, डीडवाना, धौलपुर और श्रीगंगानगर।

### 3.3.21 मानव शक्ति प्रबंधन

विभाग के चयनित संवर्गों के स्वीकृत पदों और कार्यरत व्यक्तियों की स्थिति (2 अप्रैल 2019) दर्शाती है कि परिचालन स्टाफ जैसे अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी, मोटर वाहन निरीक्षक (एमवीआई), मोटर वाहन उपनिरीक्षक (एमवीएसआई) के साथ-साथ सहायक स्टाफ में भी महत्वपूर्ण रिक्तियां विद्यमान थी। स्वीकृत 1,608 पदों के विरुद्ध 1,038 अधिकारी/कर्मचारी कार्य कर रहे थे, लगभग 35 प्रतिशत पद रिक्त थे। इसके अतिरिक्त, वाहन चालकों के संवर्ग में लगभग 90 प्रतिशत पद खाली थे। तथापि, विभाग ने परिचालन सेवाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गार्ड और वाहन चालकों को संविदा पर रखा।

एमवीआई/एमवीएसआई के रिक्त पदों की कमी के होते हुए भी यह देखा गया कि जिला परिवहन अधिकारी, भीलवाड़ा में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए 120 स्लॉटस के लिये एक एमवीआई /एमवीएसआई लगाया गया था, जबकि जिला परिवहन अधिकारी, डीडवाना में 60 स्लॉटस के लिये तीन/दो एमवीआई /एमवीएसआई लगाए गए थे।

इस प्रकार विभाग के समुचित रूप से कार्य संचालन के लिए मानव शक्ति का उचित मूल्यांकन और आवंटन आवश्यक है।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019)। सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि एमवीएसआई के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही थी और अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के रिक्त पदों को भरने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की समीक्षा बैठक आयोजित करने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग को पत्र लिखे जा चुके थे।

### 3.3.22 बकाया की अवसूली

विभागीय नियमावली के अनुच्छेद 5.6.7 (एफ) के अनुसार जिला परिवहन अधिकारी, वर्तमान मांग के 95 प्रतिशत तथा बकाया मांग के 80 प्रतिशत की वसूली के लिए उत्तरदायी है।

जिला परिवहन अधिकारी, चौमूं को छोड़कर चयनित परिवहन कार्यालयों में यात्री वाहनों की मांग और संग्रहण पंजिका की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि लेखापरीक्षा की तारीख तक 3,231 प्रकरणों में ₹ 25.35 करोड़ की राशि बकाया थी। इसके आगे यह भी देखा गया कि 1,814 प्रकरणों में ₹ 16.48 करोड़ की राशि पाँच साल से अधिक समय से बकाया थी। तथापि, अभिलेखों में ऐसी बकाया की अवसूली के कारण उपलब्ध नहीं थे।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2019)। सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि कराधान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि पुरानी मांगों को समाप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाऐं और प्रति माह कुछ सीमा तक पुरानी बकाया की वसूली की जाए।

### 3.3.23 निष्कर्ष और सिफारिशें

विभाग ने वाहन स्वामियों को आसन्न प्रदूषण जांच के बारे में सचेत करने के लिए मोबाईल पर संदेश जारी करना, सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा करवाना, आदि जैसे कुछ सक्रिय कदम उठाये है। तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां विभाग अपनी

कार्यप्रणाली में सुधार कर सकता है । नियमों में निर्धारित कर और शुल्क की कम वसूली/अवसूली रही । विभाग परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण की निगरानी में असफल रहा । राज्य में 12 स्थानों पर यद्यपि स्वचालित ड्राइविंग ट्रैक निर्मित किए गए थे लेकिन चालू नहीं किए गए । लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में कमी पाई गई । निजी फिटनेस केंद्रों और प्रदूषण जांच केंद्रों का निरीक्षण निर्धारित मानदंडों के अनुसार नहीं किया जा रहा था ।

*'वाहन'* को ई-ग्रास के साथ आंशिक रूप से एकीकृत किया गया था । वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान केवल 2.47 से 11.68 प्रतिशत पीयूसीसी जारी किए गए थे । पुराने वाहनों को हटाने के लिये कार्यवाही नहीं की गई । वर्ष 2017-19 के दौरान सड़क सुरक्षा निधि का उपयोग केवल 11.33 से 41.53 प्रतिशत की सीमा में था ।

इसलिए, सिफारिश की जाती है कि सरकार यह विचार कर सकती है कि:

- *परीक्षण को अधिक प्रभावशाली और पारदर्शी बनाने के लिए समस्त परिवहन कार्यालयों मे स्वचालित ड्राइविंग ट्रैक का संचालन प्रारंभ करना;*
- *समय पर पंजीकृत नहीं किए गए वाहनों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाना;*
- *जो वाहन स्वामी उत्सर्जन परीक्षण में अयोग्य घोषित होने के बाद निर्धारित समय में पुनः प्रशिक्षण के लिए नहीं आते, उन पर शास्ति लगाने के लिए नियमों में प्रावधान करना;*
- *वाहन स्वामियों को फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट और देय कर की आसन्न समाप्ति के बारे में याद दिलाने के लिए मोबाईल पर संदेश भेजना;*
- *प्रक्रिया पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने और प्रावधान का दुरुपयोग रोकने के लिए कड़े नियमों और विनियमों को बनाकर जैसा कि हरियाणा और कर्नाटक राज्य में उपलब्ध है आरएमवीटी अधिनियम और नियम, 1951 की धारा 4(2) एवं नियम 25 के प्रासंगिक प्रावधानों को निरस्त या संशोधित करना;*
- *सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र का बेहतर उपयोग जैसे समुचित निगरानी के लिए समस्त परमिटों की वाहन में प्रविष्टियां करना, विभागीय सॉफ्टवेयर में कर/शुल्क में संशोधन को वास्तविक समय पर अद्यतन करना, वाहन सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर भुगतान की स्थिति बताना;*
- *अप्रचलित वाहनों के निपटान के लिए स्थानीय निकायों और अन्य विभागों के साथ समन्वय कर एक क्रियाविधि विकसित करना ।*

## 3.4 एकमुश्त कर की बकाया किश्तों की कम/अवसूली

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4-सी तथा इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गए नियमों के अनुसार परिवहन वाहनों पर एकमुश्त कर का आरोपण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं[42] द्वारा निर्धारित दरों पर किया जाता है । वाहन स्वामी की इच्छा पर एकमुश्त कर का भुगतान संपूर्ण अथवा छः समान किश्तों में (14 जुलाई 2014 से) एक वर्ष में किया जा सकता है । दिनांक 10 अक्टूबर 2017 तक, एकमुश्त कर पर दस प्रतिशत की दर सें अधिभार भी देय था । इसके उपरान्त अधिसूचना दिनांक 11 अक्टूबर 2017 से अधिभार 12.5 प्रतिशत की दर से देय है । इसके अतिरिक्त, अधिसूचना दिनांक 1 मई 2003 के अनुसार अनुमत्य अवधि की समाप्ति के पश्चात देय कर की रकम के दुगने के अध्यधीन रहते हुए प्रतिमाह या उसके भाग के लिए 1.5 प्रतिशत की दर से

[42] अधिसूचनाएं संख्या 22 दिनांक 16 फरवरी 2006, 22-A दिनांक 9 मार्च 2007, 22-C दिनांक 14 जुलाई 2014 और 22-D दिनांक 8 मार्च 2016

शास्ति भी आरोपित होगी । राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 के नियम 8 एवं 33 कराधान अधिकारी को कर की वसूली हेतु नोटिस देने का अधिकार प्रदान करते है ।

आठ परिवहन कार्यालयों[43] के वर्ष 2014-15 से 2017-18 के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान हमने पाया (जून 2018 और जनवरी 2019 के मध्य ) कि 372 परिवहन वाहनों[44] के संबंध में, वाहन स्वामियों द्वारा एकमुश्त कर का भुगतान किश्तों मे करने का विकल्प लिया । तथापि, 75 वाहन स्वामियों ने प्रथम अथवा द्वितीय किश्त का भुगतान करने के पश्चात् शेष किश्तों का भुगतान नहीं किया और 297 वाहन स्वामियों ने किसी भी किश्त का भुगतान नहीं किया । कर खातों या पंजीयन अभिलेखों या *वाहन* सॉफ्टवेयर[45] मे कही भी यह नहीं पाया गया जिससे प्रकट हो कि वाहन अन्य राज्यों को स्थानांतरित हो गए या उन वाहनों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र समर्पित हो गए थे । तथापि, कराधान अधिकारियो ने देय कर की वसूली हेतु कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की । इसके परिणामस्वरूप एकमुश्त कर (अधिभार सहित) तथा शास्ति राशि ₹ 4.09 करोड़ की अवसूली/कम वसूली हुई ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2018 और फरवरी 2019 के मध्य) । सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2019) कि सात क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों[46] द्वारा 85 वाहनों के सम्बन्ध में राशि ₹ 0.73 करोड़ वसूल किये जा चुके है । आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मई 2020) ।

## 3.5 मोटर वाहनों पर कर की अवसूली

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, की धारा 4 और 4-बी तथा इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गए नियमों के अनुसार सभी मोटर वाहनों, जिनका राज्यों में उपयोग किया गया है अथवा उपयोग हेतु रखे गए हों, पर मोटर वाहन कर एवं विशेष पथकर का आरोपण एवं संग्रहण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से किया जाता है सिवाय उन वाहनों के जिन्होंने धारा 4-सी के अंतर्गत एकमुश्त कर का भुगतान किया है । अधिसूचना दिनांक 9 मार्च 2011 के अनुसार देय कर पर 10 अक्टूबर 2017 तक पांच प्रतिशत की दर से, इसके बाद अधिसूचना दिनांक 11 अक्टूबर 2017 के अनुसार 6.25 प्रतिशत की दर से अधिभार देय होगा । इसके अतिरिक्त, अधिसूचना दिनांक 1 मई 2003 के अनुसार अनुमत्य अवधि की समाप्ति के पश्चात देय कर की रकम के दुगने के अध्यधीन रहते हुए प्रतिमाह या उसके भाग के लिए 1.5 प्रतिशत की दर से शास्ति भी आरोपित होगी । राजस्थान मोटरयान कराधान नियम, 1951 के नियम 8 एवं 33 कराधान अधिकारी को कर की वसूली हेतु नोटिस देने का अधिकार प्रदान करते है ।

सात परिवहन कार्यालयों[47] के वर्ष 2014-15 से 2017-18 के पंजीयन अभिलेखों,कर खातों एवं सामान्य सूची पंजिकाओं एवं वाहन सॉफ्टवेयर की नमूना जांच के दौरान पाया गया

[43] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालयः अजमेर और जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयः बूंदी, हनुमानगढ़, जालोर, किशनगढ़, रामगंज मंडी, शाहपुरा (जयपुर) और सवाई माधोपुर

[44] 255 (गुड्स व्हीकल) + 114 (टैक्सी/मैक्सी) + 3 (बस) ।

[45] वाहनों से सम्बंधित लेन-देन के कार्य के लिए VAHAN सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है ।

[46] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी : अजमेर और जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयः किशनगढ़, जालैर, शाहपुरा (जयपुर), बूंदी, सवाई माधोपुर और हनुमानगढ़ ।

[47] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालयः अजमेर और जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयः बूंदी, जालोर, हनुमानगढ़, रामगंज मंडी, शाहपुरा (जयपुर) और सवाई माधोपुर ।

(जून 2018 और फरवरी 2019 के मध्य) कि 504 वाहनों के स्वामियों द्वारा अप्रैल 2014 से मार्च 2018 की अवधि के कर का भुगतान नहीं किया गया था। अभिलेखों में इस तथ्य का कोई साक्ष्य नहीं पाया गया, जो सिद्ध करते हो कि उक्त वाहन सड़क पर नहीं चल रहे थे या अन्य जिले/राज्यों को स्थानांतरित हो गए थे या उनके पंजीकरण प्रमाण-पत्र समर्पित कर दिए गए थे। तथापि, कराधान अधिकारियो द्वारा बकाया कर की वसूली हेतु कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी। इसके परिणामस्वरूप कर (अधिभार सहित) तथा शास्ति ₹ 2.46 करोड़ की अवसूली रही जैसा की नीचे उल्लेख किया गया है:

| क्र.सं. | वाहनों की श्रेणी | वाहनों की संख्या | राशि (₹ करोड़ में) | कार्यालय का नाम जहाँ अनियमितता पायी गयी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | माल वाहन | 174 | 0.74 | क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, अजमेर<br>जिला परिवहन कार्यालय, बूंदी, जालोर, सवाई माधोपुर और रामगंज मंडी |
| 2 | परिवर्तित माल वाहन | 249 | 1.03 | क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, अजमेर<br>जिला परिवहन कार्यालय, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर और शाहपुरा(जयपुर) |
| 3 | डम्पर/टिप्पर | 81 | 0.69 | जिला परिवहन कार्यालय, बूंदी, जालोर, सवाई माधोपुर और रामगंज मंडी |
| **कुल योग** | | **504** | **2.46** | |

प्रकरणों को विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2018 और मार्च 2019 के मध्य)। सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2019) कि सात क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा 159 वाहनों के संबंध में ₹ 50 लाख की वसूली की जा चुकी है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मई 2020)।